

माता चिन्तपुरणी मन्दिर न्यास चिन्तपुरणी, तहसील अम्ब, जि.
ज्जा 1/हि0प्र01 पिन-177110 के लेखाओं का अंश एवं निरीक्षण
प्रतिवेदन।

अंश अधि 1.1.99 से 31.12.99.

1.

गत अंश प्रतिवेदन :-

गत अंश प्रतिवेदन के अनिर्णीत अनुच्छेदों की नवीनतम
स्थिति निम्न दी जाती है। अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र
आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से इत विभाग को सूचित किया
जाए। अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति बीचे दी गई है :-

2. 1/क/ अंश प्रतिवेदन अधि 12.6.87 से 31.12.95 :-

पैरा	2/ग/	निर्णीत
पैरा	3/क/	निर्णीत
पैरा	3/ख/	अनिर्णीत
पैरा	3/ग/	निर्णीत
पैरा	4	निर्णीत
पैरा	5	अनिर्णीत
पैरा	6/1/	निर्णीत
पैरा	6/2/	अनिर्णीत
पैरा	6/3/से 15/	अनिर्णीत
पैरा	7	अनिर्णीत
पैरा	8	निर्णीत
पैरा	9	अनिर्णीत
पैरा	10	अनिर्णीत
पैरा	11	अनिर्णीत
पैरा	12	निर्णीत
पैरा	13	अनिर्णीत
पैरा	14/क/	अनिर्णीत
पैरा	14/ख/	अनिर्णीत
पैरा	15	अनिर्णीत

पैरा	16।क।	अनिर्णीत
पैरा	16।ख।	अनिर्णीत
पैरा	17	अनिर्णीत
पैरा	18।क।	अनिर्णीत
पैरा	18।ख।	अनिर्णीत
पैरा	19।क।	अनिर्णीत
पैरा	20।क।।1।	अनिर्णीत
पैरा	20।क।2।	अंशतः निर्णीत। सामूहिक त

की कटौती अपेक्षित है।

पैरा	20।क।3।	निर्णीत
पैरा	20।ख।	निर्णीत
पैरा	20।ग।	निर्णीत
पैरा	21	अनिर्णीत
पैरा	22	अनिर्णीत
पैरा	23	अनिर्णीत
पैरा	24	अनिर्णीत
पैरा	25	अनिर्णीत
पैरा	26	अनिर्णीत
पैरा	27	अनिर्णीत
पैरा	28	अनिर्णीत
पैरा	29।क।	अनिर्णीत
पैरा	29।ख।	अनिर्णीत

पैरा	30	अनिर्णीत
पैरा	31	अनिर्णीत
पैरा	32	अंशतः निर्णीत।

वर्ष 53 वर्ष 1/94

वर्ष 6।6 वर्ष 8/93

" 329 " 5/93

वा0सं0 33। वर्ष 5/93
 वा0सं0 506 वर्ष 11/92
 वा0सं0 57 वर्ष 3/91
 वा0सं0 32 वर्ष 2/90
 वा0सं0 108 वर्ष 10/89
 वा0सं0 110 वर्ष 10/89
 वा0सं0 330,340 वर्ष 12/87
 वा0सं0 191 वर्ष 6/95
 वा0सं0 88 वर्ष 1/94
 वा0सं0 30 वर्ष 4/89
 वा0सं0 20-21 वर्ष 4/93
 वा0सं0 238,455 वर्ष 12/84
 वा0सं0 108 वर्ष 10/89
 वा0सं0 27 वर्ष 4/89
 वा0सं0 322,21 वर्ष 5/93
 वा0सं0 46 वर्ष 1/94 पर
 कार्यवाही अभिलेख है।

पैरा	33	अनिर्णीत
पैरा	34	अनिर्णीत
पैरा	35	अनिर्णीत
पैरा	36	निर्णीत
पैरा	37	अनिर्णीत
पैरा	38	अनिर्णीत
पैरा	39	अनिर्णीत
पैरा	40	अनिर्णीत
पैरा	41	अनिर्णीत
पैरा	42	अनिर्णीत
पैरा	43	अनिर्णीत
पैरा	44	अनिर्णीत
पैरा	45	अनिर्णीत
पैरा	46	अनिर्णीत
पैरा	47	अनिर्णीत
पैरा	48	अनिर्णीत
पैरा	49	अनिर्णीत
पैरा	50	अनिर्णीत

पैरा	51	निर्णीत
पैरा	52	अनिर्णीत
पैरा	53	अनिर्णीत
पैरा	54	अनिर्णीत
पैरा	55	अनिर्णीत
पैरा	56	अनिर्णीत
पैरा	57	अनिर्णीत
पैरा	58	अनिर्णीत
पैरा	59	अनिर्णीत
पैरा	60	अनिर्णीत
पैरा	61	अनिर्णीत
पैरा	62	अनिर्णीत
पैरा	63	अनिर्णीत
पैरा	64	अनिर्णीत
पैरा	65	अनिर्णीत
पैरा	66	अनिर्णीत
पैरा	67	अनिर्णीत
पैरा	68	अनिर्णीत
पैरा	69	अनिर्णीत

अंशतः निर्णीत। पैराग्राफ की

मद सं० 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 15, 16, 17 व 18 व
कार्यवाही अपेक्षित है।

पैरा	70	अनिर्णीत
पैरा	71	अनिर्णीत
पैरा	72	अनिर्णीत
पैरा	73	अनिर्णीत
पैरा	74	अनिर्णीत
पैरा	75	अनिर्णीत

पेरा	76	अनिर्णीत
पेरा	77	अनिर्णीत
पेरा	78	अनिर्णीत
पेरा	79	अनिर्णीत
पेरा	80	अनिर्णीत
पेरा	81	अनिर्णीत
पेरा	82	अनिर्णीत
पेरा	83	अनिर्णीत
पेरा	84	निर्णीत
पेरा	84	अनिर्णीत
पेरा	85	अनिर्णीत
पेरा	86	अनिर्णीत
पेरा	87	अनिर्णीत
पेरा	88	अनिर्णीत
पेरा	89	अनिर्णीत
पेरा	90	अनिर्णीत
पेरा	91	अनिर्णीत
पेरा	92	अनिर्णीत
पेरा	93	अनिर्णीत
पेरा	94	निर्णीत
पेरा	95	अनिर्णीत
पेरा	96	अनिर्णीत
पेरा	97	अनिर्णीत
पेरा	98	अनिर्णीत
पेरा	99	अनिर्णीत
पेरा	99	अनिर्णीत
पेरा	99	अनिर्णीत
पेरा	99	अनिर्णीत

पेरा	११।य।	अनिर्णीत
पेरा	११।छ। से।य।	अनिर्णीत
पेरा	100	निर्णीत
पेरा	101।क।	निर्णीत
पेरा	101।ख।	अनिर्णीत
पेरा	102	निर्णीत
पेरा	103	निर्णीत
पेरा	104	निर्णी त
पे रा	105	निर्णीत
पेरा	106	अनिर्णी त
पेरा	107	अनिर्णीत
पेरा	108।क।	अनिर्णीत
पेरा	108।ख।	अनिर्णीत
पेरा	109	अनिर्णीत
पेरा	110	अनिर्णीत
पेरा	111	अनिर्णीत
पेरा	112	निर्णीत
पेरा	113	अनिर्णीत
पेरा	114	अनिर्णीत
पेरा	115	निर्णीत
पेरा	116	निर्णीत
पेरा	117	निर्णीत
पेरा	118	अनिर्णीत
पेरा	119	अनिर्णीत
पेरा	120	अनिर्णीत
पेरा	121	अनिर्णीत
पेरा	122	अनिर्णीत
पेरा	123	अनिर्णीत
पेरा	124	अनिर्णीत

पेरा	125	निर्णीत
पेरा	126	निर्णीत
पेरा	127	निर्णीत
पेरा	128।क।	अनिर्णीत
पेरा	128।ख।	अनिर्णीत
पेरा	128।ग।	अनिर्णीत
पेरा	129	अनिर्णीत
पेरा	130	अनिर्णीत
पेरा	131	अनिर्णीत ।

ख। मन्दिर न्यात चिन्तपूर्णी के लेखाओं अवधि 1.1.1996 से 31.12.98 का लेखा परीक्षण नहीं किया गया ।

भाग-दो.

3.

वर्तमान अंकेक्षण :-

अवधि 1/99 से 12/99 के लेखाओं का अंकेक्षण जितके परिणाम अनुवर्ती पेशों में फिर गए हैं कितांक 28.9.2000 से 23 मार्च 2001 तक सर्व श्री रेखा चन्द शर्मा, अनुभाग अधिकारी लेखा परीक्षण व रंजीव कुमार लेखा परीक्षण द्वारा चिन्तपूर्णी में किया गया । विस्तृत पड़ताल हेतु मास 4/99 व 12/99 के लेखाओं का चयन किया गया । अनुवर्ती पेशों में फिर गए अभिलेख के अतिरिक्त अन्य अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया ।

उपरोक्त अवधि में निम्न मन्दिर अधिकाधिकारियों ने मन्दिर न्यातमें कार्य किया :-

1. श्री धर्मपाल हरि.
2. श्री रेखा चन्द कटोच ।

चिन्तित स्थिति मुख्य खाता :-

4.

माता चिन्तपूर्णी मन्दिर न्यात को अवधि 1.1.99 से 31.12.99 तक की आय एवं व्यय मुख्य खाता (खंड)

लेख की आय व्यय के अतिरिक्त का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
1999	46097055.16	52790969/=	98888025/6	48049424/=	50838601.16
रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.12.99 को अन्तिम शेष का विवरण निम्न प्रकार से था :-					
हस्तगत राशि					476431.00
बैंकों में जमा राशि					4774682.16
डाकघर में जमा राशि					543414.00
सावधि जमा योजना में					45044074.00
निवेदः					
कुल योग					50838601.16

माता चिन्तपूर्णी मन्दिर के मुख्य खर्चे से सम्बन्धित रोकड़ वही तथा पास बुकों में दिनांक 31.12.99 को बैंक/डाकघर में जमाई गई जमा राशि के अन्तर के मिलान का विवरण अर्थात् बैंक समाधान विवरण 18281 अनुबन्ध-1 पर लगा है।

5. अंकेक्षण शुल्क :-

माता चिन्तपूर्णी मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी जिला उमा के अवधि 1.1.99 से 31.12.99 तक अंकेक्षण शुल्क का आकलन रु0 490772.00 रु0 किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :
अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या: 45/2001 दिनांक 23.3.2001 द्वारा आयुक्त मन्दिर चिन्तपूर्णी न्यास से उक्त राशि को रेजिस्ट्रार बैंक द्राफ्ट द्वारा परीक्षित, स्थानीय विधि लेखा दि090 शिमला-9 को भेजने का अनुरोध किया गया।

	कुल व्यय	अंकेक्षण शुल्क
मन्दिर लेखा =	48049424.00	480494.00
लेगर लेखा =	1027758.00	10278.00
योग=	49077182.00	490772.00

6. पंजी निवेश :-

दिनांक 31.12.99 को मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी के मुख्य खाता की रोकड़ वही के अनुसार 45044074.00 रु0 की राशि विभिन्न सावधिक जमा योजनाओं में निवेशित थी जैसा कि अनुबन्ध-II के भाग पर वर्णित है।

जैसा कि बैंक समाधान विवरण में दर्शाया गया है कि 12/98 तक के चैक 2654445000=31544.00 कालातीत हो गए हैं जिन्हें अविशेष रद्द करके पुनः रोकड़ वही में जमा किया जाए। दानपात्र रजिस्टर में कम गणना के कारण 1280.00 रु0 की राशि की वसूली :-

7.

माता चिन्तपूर्णी मन्दिर न्यास के मुख्य खाता अवधि 1/99 से 12/99 तक की आय दान पात्र रजिस्टर सर्व रोकड़ वही का अंश करने के दौरान पाया गया कि प्रतीति दान इत्यादि द्वारा प्राप्त आय की दानपात्र रजिस्टर से रोकड़ वही में कम दर्ज किया गया व प्रतीति दान पात्र रजिस्टर में दर्ज आय के योग में भी अनेक त्रुटियां पाई गईं। निम्न विवरणानुसार रु0 1280.00 रु0 की राशि की रोकड़ वही में कम गणना हुई जिसे दोषी के अधिकारी/कर्मचारी से शीघ्र वसूल करके मन्दिर लेख में जमा करवाया जाए। अनुपा-लना आगामी अंश में दर्ज जाए।

दिनांक	दानपात्र रजि. पुठ.	वास्तविक आय.	गणना में ली गई आय.	अन्तर
14.6.99	4927	3350.00	3250.00	100.00
16.6.99	4934	245.00	225.00	20.00
17.7.99	5003	490.00	440.00	50.00
21.7.99	5007	3367.00	2367.00	1000.00
15.10.99	5205	22128.00	22028.00	100.00
20.12.99	5357	625.00	615.00	10.00
योग:-				1280.00 रु0

8.

माता चिन्तपुर्णों मन्दिर न्यास के पश्चात अब तक स्वीकृत पदों का निर्धारण नहीं किया गया है। मन्दिर में कार्यरत दैनिक भोगी निम्न कर्मचारियों को निम्न पदों पर स्थाई तौर पर नियमित किया गया। इन कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी

नवीनतम वेतनमान विवरण :-

<u>पद सं०</u>	<u>पद का नाम</u>	<u>वेतनमान</u>
1 पद	सहायक प्रबन्धक	5000 से 8100
1 पद	कनिष्ठ अभियन्ता	5800 से 9200
1 पद	सुपरवाइजर	3120-5200
1 पद	लिपिक	--
4 पद	सेवादार अधिगारी	--
1 पद	व० सेवादार अधिगारी	4000-6200
3 पद-यात्राक		3120-एस्.पी 150 से 6200
7 पद	सेवादार सुरक्षा	2620-4140
2 पद	वरिष्ठ सेवादार सुरक्षा	3120-6200
25 पद	सेवादार जलगर मन्दिर	2620-4140
3 पद	सेवादार तकनीकी	--
14 पद	तफाई सेवादार	--
63 पद		

माता चिन्तपुर्णों मन्दिर का अधिग्रहण दि० ०५० सरकार द्वारा दिनांक 12.6.1987 को किया गया और तब मन्दिर में केवल 9 सेवादार व एक लिपिक ही कार्यरत थे। अतः अब कर्मचारियों की संख्या 63 है। यह बढ़ती अत्यधिक है।

मन्दिर न्यास की वर्ष 1999 की कुल आय 5,57,26,699.00 रु० व उक्त वर्ष में कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर 31,35,609.00 रु० की राशि व्यय की गई थी। जोकि कुल आय का 5.62 प्रतिशत है।

... 11...

9.

मन्दिर न्याय के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जांच में पाया गया कि इनकी सेवा पुस्तिकाएं अपूर्ण पड़ी हुई हैं। अर्जित अवकाश, परिणीत अवकाश का ब्योरा/व्यतीत की गई छुट्टियों को अधिकतम मामलों में दर्ज नहीं किया गया था। तत्पश्चात् अधिकारी द्वारा सेवा पुस्तिका का सत्यापन नहीं किया गया था और न ही कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निर्धारित व सामूहिक बीमे के रूप में कटौती की जा रही थी। अतः इन औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का कारण अवेक्षण को स्पष्ट किया जाए तथा सेवा पुस्तिकाओं में अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण करके अगले अवेक्षण में दिखाना जाए।

10. [क] पुजारियों/बारीदारों को जारी की गई राशि के सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि नीचे दिए गए विवरणानुसार राशि को दिए जाने की पुष्टि में वास्तविक रसीद अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी। बिना रसीद के भुगतान को उचित नहीं माना जा सकता। अतः अपेक्षित रसीद आगामी अवेक्षण में प्रस्तुत की जाएं।

क्रम सं०	नाम	राशि	रजिस्टर का पृष्ठ सं०	विवरण
1.	श्री मदन लाल	11484.00	67	गबला टोला एपीआर के बिना भुगतान।
2.	श्री रविंद्र कुमार	11484.00	68	---
3.	" राकेश कुमार	11484.00	68	---
4.	" संजीव कुमार	11484.00	68	---
5.	श्रीमति भामा देवी	45939.00	68	---
6.	--- शंभु लाल देवी	24182.00	73	---
7.	श्री अशोक कुमार	12091.00	73	---
8.	" चन्दन कालिया	12091.00	74	---
9.	" विजय कुमार	24182.00	74	---
10.	हुनील कुमार	21764.00	74	---

.... 12 ...

11. सुनील कुमार	20676.00	74	गडल टोला
12. श्रीमति शक्ति देवी	72548.00	74	--
13. श्री बलदेव प्रसाद	5038.00	74	--
14. ललित मोहन	1259.00	79	--
15. रघुवीर प्रसाद	2519.00	80	--
16. श्रीमति विमला देवी	25412.00	85	--
17. श्री आयुष कालिया	8170.00	85	--
18. श्रीपरियाल कालिया	8470.00	85	--
19. रघुवर खाल	2426.00	98	--
20. श्रीमति विमला देवी	4534.00	83	डिंगला टोला
21. " द्यावती	25412.00	88	--
22. श्री देव राज	8470.00	88	--
23. श्रीमति बख्शी देवी	3388.00	92	--
24. श्रीमति विमला देवी	50825.00	92	--
25. श्री श्याम लाल	15114.00	63	मोनिया टोला
26. श्री नितिन कुमार	15114.00	63	--
27. श्री अनिल कुमार	8470.00	66	--
28. अजय कुमार	7278.00	78	--

4,25,565.00

18. माता चिन्तपुरणी मन्दिर न्यास की आमकी चढ़ाई में से
दिए जाने वाले हिस्से में अनियमित बढ़ोतरी :-

दिल्लीयुक्त एवं लखनऊ भाषा की अद्यतना
में हुई बैठक किांक 10.8.1987 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि
पुजारियों/बारीदारों को प्राथमिक क्रम में जो कि पूजा-अर्चना, मन्दिर
को बनाए रखने हेतु व्यय, परिसर में सुधार, लैंगर
पर व्यय आदि निकासकर केवल नगद चढ़ाई का 50 प्रतिशत भाग
मन्दिर पुजारियों/बारीदारों को दिया जाना था। उक्त निर्णय
को पुजारियों व बारीदारों द्वारा बिना किसी शर्त के साथ स्वीकार

कर लिया गया था । परन्तु मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी की बैठक जो किमांक 12.5.98 व 15.5.98 को भस्वाई में आयोजित की गई द्वारा पुजारियों/बारीदारों को दानपात्रों की आय से प्राथमिक ग्र्यों की कटौती न करने का निर्णय लिया गया । इस निर्णय को सरकार से अनुमोदित नहीं करवाया गया । इसके अतिरिक्त जब यह बैठक 12.5.98 व 15.5.98 को सम्पन्न हुई तो इस निर्णय को 1.1.96 से प्रभावी क्यों माना गया? अतः उक्त मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

11.

भूमि को जय करने हेतु रु० 3149923.00 रु० का अनियमित व्यय :-

वापसी 1301 किमांक 22.2.99 राशि 13,62,461.00 रु०
वापसी 1397 किमांक 25.3.99 राशि 13,62,462.00 रु०
वापसी 48 किमांक 25.4.99 राशि 42,5000.00 रु०

मन्दिर न्यास चिन्तपूर्णी द्वारा भस्वाई से चिन्तपूर्णी तक प्रस्तावित [बाईपास] सड़क के लिए भूमि जय की गई जिस पर 3149923.00 रु० की राशि व्यय की गई परन्तु भूमि जय करने की रजिस्टरी/इन्तकाल जमाबन्दी का कोई अभिलेख/अनुबन्ध इत्यादि अवेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न ही भुगतान की गई राशियों की वास्तविक रसीदें जो भुगतान की पुष्टि में आवश्यक है, अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी ।

12.

रु० 2096597.00 रु० का अनियमित भुगतान :-

निम्न प्रकारों में विभिन्न विभागों को विभिन्न कार्य हेतु राशियों का भुगतान किया गया परन्तु सम्बन्धित विभागों द्वारा जमा राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र अवेक्षणे को प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही मन्दिर न्यास द्वारा ऐसा कोई अभिलेख अवेक्षण में प्रस्तुत किया गया जिसे ज्ञात हो सके कि सम्बन्धित विभाग द्वारा उक्त कार्य पूर्ण कर लिया गया है शक्य नहीं । मन्दिर आयुक्त चिन्तपूर्णी से अनुरोध है कि वे सम्बन्धित विभागों से अपेक्षित अभिलेख प्राप्त करके अवेक्षण को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देश जारी करें अन्यथा

राशि को वापिस लेकर मन्दिर के लेख में जमा किया जाए :-

वाक्य सं०	मास	राशि	विवरण
1292	2/99	3798.00	यात्रा भवन भवाई हेतु विरनू मेहक्ल स्टोर चिन्तपूर्ण जमा को भुगतान किया गया।
1381	3/99	10000.00	चैक सं० 866551 जमांक 28.3.99 द्वारा चक्का मेहक्ल एवं जनरल सेजन्ती जमा बिल सं० 3655 जमांक 16.3.99 को क्वाइयां ज्य की गई व क्वाइयां स्वास्थ्य अधिगारी चिन्तपूर्ण को दे दी गई।
301	8/99	22250.00	चैक सं० 867381 द्वारा चक्का मेहक्ल स्पष्ट जनरल सेजन्ती जमा को क्वाइयां के ज्य करने पर क्वाइयां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिन्तपूर्ण को दी गई।
373	10/99	8319.00	प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र चिन्तपूर्ण को क्वाइयां हेतु क्वाइयां प्रियालिक मेहक्ल स्टोर होशियारपुर से बिल सं० 3628 जमांक 9.10.99 को ज्य की
1381	3/99	581930.00	चैक सं० 866548 जमांक 12.3.99 द्वारा नवनिमित्त विस्तार भवन की बिजली प्या हेतु अधिगारी अभियन्ता विद्युत जमा को दिये गए।
315	8/99	1470300.00	चैक सं० 867382 जमांक 18.8.99 द्वारा विस्तार भवन लिफ्ट लगवाने हेतु सहायक अभियन्ता विद्युत जमा को दिये गए।

योग= 2096597.00 रु०

13.

₹ 1000.का अधिक भुगतान :-

वाल्म्वर से 392 दिनांक 12.9.99 को 1000.00
 ₹ का आ तान चेक से 857395 दिनांक 12.9.99 को अतीत
 समाचार में में विज्ञापन देने हेतु श्री रावेला कुमार कालिया को
 किया गया। जल्पर की जांच में पाया गया कि फर्म का बिल
 9000.00 ₹ की ही था जबकि भुगतान 10000.00 ₹ का किया
 गया। इस 2 र 1000.00 ₹ का अधिक भुगतान किया गया जिसकी
 बसुली उचित स्रोत से की जाए व अनुपलब्धता से अंतरण को अवगत
 करवाया जाए।

14.

वाल्म्वर से 421 मास 11/99 राशि 3000.00 ₹ :-

उपरोक्त वाल्म्वर द्वारा ₹ 3000.00 ₹

का भुगतान श्री स्थलात झाईवर ट्रक नं० एच.पी. 19-0998 को
 पितृत्तपूर्वों से अलोट फिन्सु में कृष्ण करकट फैक्ट्री हेतु निर्दिष्ट भुगतान
 किया गया :-

<u>दिनांक</u>	<u>राशि</u>
4.10.99 / द्वि	600.00
5.10.99 -"	600.00
6.10.99 -"	600.00
7.10.99 -"	600.00
8.10.99 -"	600.00
	<u>3000.00</u>

परन्तु अभि लेख की जांच में पाया गया कि इस
 कार्य के निष्पादन हेतु कार्यालय आदेश से 16/9/99 दिनांक
 16.9.99 द्वारा दिनांक 17.9.99 से 21.9.99 तक के लिए स्वीकृति
 प्रदान की गई थी। जब स्वीकृति 17.9.99 से 21.9.99 तक थी तो
 यह कार्य 4.10.99 से 8.10.99 तक बिना स्वीकृति से करवाने का
 ओचित्य स्पष्ट किया जाए। अतः इस सम्बन्ध में तत्काल अधिकारी

... 15....

की स्वीकृति प्राप्त की जाए अन्यथा उक्त राशि की वसुली दोषी से वसूल कर न्यात के लेख में जमा करवाई जाए। अनुपालना से स्व विभाग को अवगत कराया जाए।

15.

मन्दिर के चढ़ावा रजिस्टर के स्टॉक रजिस्टर वर्ष 1999 तक के वर्णित मातों का अंकेक्षण करते समय पाया गया था कि मन्दिर को दान के रूप में प्राप्त धन को विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, पञ्चायतों, महाविद्यालयों, हस्पतालों, पुल्लि धानों/चौकियों, पट्टारखानों को मात्र 100.00 रु० की दर से वितरित किया जा था। लड़कियों की शादीयों पर छत का पंजा बिना किसी कीमत दे वितरित किए जा रहे थे। क्योंकि इस प्रकार के वितरण का न्यात में कोई प्रावधान नहीं है। अतः इस वितरण बारे अंकेक्षण को औचित्य दिया जाए व भविष्य में दान प्राप्त धनों की अन्य मन् की भांति त न्यात की कमेटी में विभिन्न धनों के मुख्य नियंत्रित कर उनकी गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए की जाए व इनके वितर बारे नियम शीघ्र निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग से अनुमोदित कराए जाएं।

16.

अंकेक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि पूर्व में दिए गए अग्रिमों को नीचे दिए गए विवरणानुसार समायोजन नहीं किया गया। किन्तु राशि अग्रिम के रूप में ली गई थी इस बारे कोई रशि या अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः मंदिर अधिकारी अनुरोध है कि सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाए। अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

अग्रिम कर्मचारी का नाम.

अग्रिम समायोजित र्शिका.

1. श्री रमेश चन्द 31.3.99 3500.00 अग्रिम प्रा राशि व नही खा
2.

प्राप्त राशि 747 के विस्तृत समायोजित। 31.3.99 1800.00

प्राप्त 1399 सी के विस्तृत समायोजित।

3. श्री केवल सिंह 31.3.99 4100.00 अग्रिम प्राप्त की राशि व तिथि नहीं बताई गई थी।
4. --- 4.6.99 3500.00 अग्रिम राशि किसे कब और किसने दी गई का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

17.

निम्नलिखित प्रकरणों में मन्दिर न्यास द्वारा श्रवण ऋष्ठी मेल के दौरान अस्थाई टेलीफोन कनेक्शन लेने हेतु बत्तौर प्रतिभूति राशि जमा की गई परन्तु मेल के समापन पर उक्त जमा की गई प्रविष्टि/प्रतिभूति को विभाग से वापिस नहीं लिया गया। अतः उक्त राशियों को शीघ्र प्राप्त कर मन्दिर निधि में जमा किया जाए। अनुपालना से अक्षय को अवगत किया जाए।

वाउचर सं०	मास	राशि	मैला अवधि
1344	3/99	5000.00	12.3.99 से 18.3.99
248	7/99	25000.00	12.8.99 से 21.8.99
	8/99	5000.00	फोन नं० 55969 लेने हेतु।
योग		35000.00 रु०	

18.

वाउचर सं०	मास	राशि
508	12/99	6000.00
498	12/99	6000.00

उपरोक्त वाउचरों द्वारा रु० 6000/- रु० अग्रिम राशि का भुगतान श्री बिबिन झाईवर को वाहन टाटा सुमो की रिपेयर हेतु तथा 6000.00 रु० का अग्रिम ज्योति आर्टीशियल को माता चिन्तपुर्णी का माहल तैयार करने हेतु किया गया। परन्तु इन राशियों के समायोजन वाउचर अक्षय में प्रस्तुत नहीं किए गए। उक्त अग्रिमों के सम्बन्ध में अपेक्षित समायोजन वाउचर आगामी अक्षय में दर्ज किए जाए।

19.

वार्षिक 536 मास 12/99 राशि 11337.00 रु०

मु० 11337.00 रु० का भुगतान दि० 90 बिजली

बोर्ड भवाई [जा] को यात्री भवन के मास 12/99 के बिल स० 920912 दिनांक 23. 12. 99 विद्युत बिल के रूप में किया गया परन्तु इस सम्बन्ध में प्राप्ति द्वारा जारी रसीद अंश को प्रस्तुत नहीं की गई जिसकी अनुपस्थिति में 11337.00 रु० के व्यय की अंश में पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त राशि के भुगतान की रसीद आगामी अंश पर दि० 91 जाय अन्यथा इस राशि की वसूली न सम्बन्धित कर्मचारी से करके अनुपालना से अंश को अवगत करवाया

जाय ।

20.

वार्षिक	मास	राशि
1254	2/99	1198.00
128	6/99	1462.00

उपरोक्त वार्षिकों की जांच में पाया गया कि

श्री विष्णु चन्द झाईवर को न नीचे दिए गए विवरण के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की अदायगी की गई। बिल के साथ सलान की गई टूजर डायरी के अनुसार चालक द्वारा स्ट. डी. एम. अम्ब के साथ बतौर चालक की ट्यूटी के लिए भुगतान किया गया व इस ट्यूटी का सम्बन्ध किसी प्रकार से मन्दिर से नहीं था। यात्रा भत्ते की अदायगी मन्दिर लेख पर उचित प्रभार नहीं है। अतः उक्त राशि की वसूली स्ट. डी. एम. अम्ब के कार्यालय से की जानी अपेक्षित है। अनुपालना से अंश को शीघ्र अवगत किया जाय।

मास	राशि
6/98	310.00
7/98	348.00
8/98	158.00
9/98	248.00
10/98	124.00
	1198.00

11/98	218.00
12/98	224.00
1/99	358.00
2/99	406.00
3/99	256.00
	<u>1462.00</u>

21.

वाज्यर सं० 1306 मास 2/99 राशि 4200.00

उपरोक्त वाज्यर द्वारा भर्वाइ से चिन्तपूर्णी की प्रस्तावित बाईपास सड़क का राजस्व रिकार्ड को तैयार करने हेतु श्री विजय कुमार सिंह व श्री कुलवंत सिंह पटवारी को क्रमशः 2100.00 व 2100.00 रु० का बतौर पारितोषिक दिया गया। उक्त व्यय को मन्दि-र न्यास से क्रि-र जाने का औचित्य स्पष्ट किया जा-ए।

22.

वाज्यर सं०	मास	राशि
11/5	4/99	4550.00
12/556	12/99	4300.00

॥ 1॥ मन्दि-र न्यास चिन्तपूर्णी के लेखा परीक्षा अधि-यि 1/99 से से 12/99 तक के चयनित मासों 8/99 व 12/99 का अंकेषण करने पर पाया गया कि मन्दि-र न्यास द्वारा नीचे दिए गए विवरणानुसार जिलाधीश जना के कार्यालय में कार्यरत अधिकारीयों/कर्मचारियों व मन्दि-र न्यास के स्टैफ को नियमित रूप से मन्दि-र न्यास की निधि से मानदेय राशि का भुगतान किया जा रहा है। उक्त भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जा-ए।

अधिकारी/कर्मचारी पदनाम व कार्यालय राशि वितरण का नाम का नाम

1. वित्त अधिकारी, लेखाधिकारी. 1000.00 ---
जना, जिलाधीश कार्यालय जना.

2. सर्वश्री धर्मपाल हीर मन्दि-र अधिकारी 350.00

3. जे. एल. धीमान अधीक्षक, जिलाधीश 350.00
कार्यालय उमा.

4. कमल नयन कनिष्ठ सहायक 400.00
जिलाधीश कार्यालय उमा.

5. श्री बीर सिंह सहायक 250.00
मन्दिर न्यात.

6. श्री शेर सिंह सेवादार मन्दिर न्यात 100.00

7. "आसाराम" 100.00

8. "ज्ञान चन्द" 300.00

9. "वासुदेव" 300.00

10. "सुखराम जिलाधीश कार्यालय 150.00 रसीद नहीं पाई
उमा.

11. "छेक चन्द" 450.00

12. "स्न. सी. घई स. डी. ए. अम्ब 300.00

13. "आर. पी. राणा डी. ए. अम्ब 500.00 रसीद नहीं पाई
गई।

कुल योग: 4550.00 रु०

121 रु० 4350.00 रु० का भुगतान निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों व
बतौर मानेद्य राशि माह 3/99 के 4/99 की दी गई। यह मानेद्य
भुगतान श्री एल. के. चौहान सहायक अभियन्ता जो मन्दिर के निर्माण
कार्यों की निगरानी भी कर रहे हैं के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों
को मन्दिर न्यात से भुगतान करने का औचित्य दिया जा स. लेखा
परीक्षा में पाया गया कि प्र. सं० 1, 2, 3 व 8 की भुगतान तम्बन्ही
वास्तविक रसीद भी अभिलेख में नहीं थी। अतः रसीद को आगामी
अंश के दौरान प्रस्तुत किया जा स. अन्यथा राशि को
लेख में जमा करवाया जा स. अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को
अवगत करवाया जा स.

कर्मचारी का नाम	पद व कार्यालय का नाम	राशि	विवरण

1. वित्त अधिकारी लेखाधिकारी 1000.00 रसीद नहीं पाई।
जिलाधीश कार्यालय उमा।

2.	श्री स्व. के. चौहान सहायक अभियंता	1000.00	रसीद नहीं पाई गई।
3.	र. डी. ए. जमा	300.00	--
4.	मन्दिर् अधिकारी मन्दिर् न्यास.	350.00	
5.	श्री आर. पी. रैणा	500.00	
6.	" कमल नयन	400.00	
7.	" टेक चन्द माली	450.00	
8.	" जे. ए. धीमान अधीक्षक, जिलाधीश कार्यालय जमा.	3500.00	रसीद नहीं पाई गई।
कुल योग:		4350.00	

23.

व्यय में अनियमितताएं :-

अंकेक्षण अवधि के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न सामान को क्रय करने से पूर्व कोई भी विस्तीय औपचारिकता पूरी नहीं की जाती है। प्राप्त किए गए सामान के मापतोल तथा गणना के उपरान्त स्टोक रजिस्टर में प्रविष्टियां नियमित रूप से नहीं की गईं। सामान के जारी करने व उपयोग के सम्बन्ध में स्टोक रजिस्टर पर कोई विवरण नहीं दिया गया था व स्टोक में शेष पड़े सामन का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए विभिन्न सामान की स्टोक रजिस्टरों में नियमानुसार स्टोक प्रविष्टियां करने के उपरान्त सामान के उपयोग सम्बन्धी जारी कर्ती/प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षरों सहित पूर्ण विवरण दर्ज करके व स्टोक रजिस्टरों के अनुसार शेष पड़े सामान का मन्दिर् अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के पश्चात सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए व भविष्य में उपरोक्त समस्त औपचारिकताएं पूरी की जानी सुनिश्चित की जाए।

अंकेक्षण अवधि के दौरान क्रय किए गए सामान का विवरण जिसे स्टोक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था, का विस्तृत निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	नाम	माह	राशि	विवरण
1	राज प्रसाद एड. सेस	4/99	490-00	कपड़ें कम है
49	राज प्रसाद एड. सेस	4/99	1050-00	कपड़ें कम है
53	राज प्रसाद एड. सेस	4/99	24647-00	कपड़ें कम है
54	राज प्रसाद एड. सेस	4/99	275-00	कपड़ें कम है
54	राज प्रसाद एड. सेस	4/99	1767-00	कपड़ें कम है
217	राज प्रसाद एड. सेस	7/99	6009-00	कपड़ें कम है
217	राज प्रसाद एड. सेस	7/99	18590-00	कपड़ें कम है

319	8/99	13798-00	विजली परीक्षण के काम हेतु।	श्री ११११ सहारे अम्ब।	श्री ११११ हाउस
288	8/99	27950-00	काम परिसर व लकिए के काम हेतु	पेजाम लैटरेट व सजाविल (श्री) लि. होशियारपुर	
334	8/99	13050-00	210 ली० का फिल व रेडिएशन	आनन्दपीप इलेक्ट्रोनिक अम्ब	
335	10/99	8776-00	सिनेटरी का सामान	सैनी सिनेटरी वर्कल जगरेट	
339	10/99	8970-00	कारपेट 13' x 15'	रामरे लाल एड सान होशियारपुर।	
372	10/99	7575-00	विजली का सामान	विनोद इलेक्ट्रिकल वर्कल चिन्तपुरी।	
417	11/99	15520-00	पेले हेतु साफ सफाई आडू-चूना काम हेतु 2 बरतों के काम हेतु।	अश्वनी कुमार अश्वी जिला अम्ब। विनोद इलेक्ट्रिकल चिन्तपुरी।	
493	12/99	60-00	3	—	—
520	12/99	36-00	2	—	—
	12/99	54-00	2	—	—
	12/99	24-00	3	—	—
521	12/99	51-00	1	—	—
523	12/99	669-00	संरक्षणी काम हेतु	श्री ११११ सहारे	
	1/99	1830-00	एवसाईड वर	चिन्तपुरी। हिं पण्डित इ-50 कापी रमा विल नर 007997 दिनांक 25-12-98	
	10/99	7963-00	—	—	—
	4/99	8532-00	MRF टायर 78 x 15 4 नं०	हिं पण्डित इ-50 कापी रमा	
		920-00	" टायर 78 x 15 4 नं०	विल नर 008732 दिनांक 16-3-99.	

रूप-पत्र इतिहासिक
कापारुशन अठारु
प्र
श्री विठ्ठल
लक्ष्मण जी जी
कोदी ग्रामोद्योग
महाराष्ट्र

रुपये लाई लाभा
हेतु

1190 1/99 4992-00
1202 1/99 5930-00

अपहार भेद किए

1284 2/99 7110-00

मिर्गाल/अपहार हेतु

491 12/99 12320-00

75x40mm
साइज बॉर्ड

1260 1/99 25983-00

सुपार इन्फॉर्मि
गोप्य

10 लम्बाई 10
(36" x 72" x 4")
10 पिच
10 फाईवर रजिस्ट्रार

244 7/99 17250-00

12 सीलिंग
12 सीलिंग

289 8/99 1620-00

इन्फॉर्मि
मैकमोड, होमिनाल
मिर्गाल एम. नं. 19
होमिनाल

20 फाई

290 8/99 1485-00

26 पाई
26 पिच/मजूर
26 फाई

292 8/99 7460-00

मैकमोड
सुपार इन्फॉर्मि
होमिनाल

319	9/99	952.00	हाथीयर का सामान.	मेहता हाथीयर स्टो अम्ब. बिल नं० 168, 476, 508 दिमांक 15.8.99.
339	10/99	1250.00	5 बैलगीट 5 --	विजय कलाथ हाज होथियारपुर, बिल नं० 1549.
		2190.00	बिजली का सामान	कुमरा सन्ज जालन्धर
		3205.00	--	
		3477.00	सिनटरी का सामान.	वम्बई वर्धमान मार्ग होथियारपुर बिल नं० 457. दि० 27.7.99
		85.00	8 वाल हेन्गर	अवनी कुमार शर्मा, भरवाई ज्मा.
		480.00	24 --	
		15.00	1 पेट फेच	
		74.00	बिजली का सामान	शिव झैकरीकल वर्क सुबारकपुर. जिल ज्मा.
340	7/99	254.00	13 कि.ग्र. लोहे का गेट	वेलिंग वर्क भरवाई ज्मा.
		326.00	17 कि.ग्र. लोहे का गेट	--
343	10/99	9000.00	10 बैल 3*61	कौशल फर्चिच हाज अब्ब, जिला ज्मा.
344	10/99	62937.00	8 तोफा सैट 1 क्लान 2 स्टडी टेबल 3 स्टडीस बुर्सियां	करतार फर्चिच हा होथियारपुर, बिल : 001364, दि० 28.
347	10/99	700.00	20 मी. कपड़ा	राम प्रसाद एण्ड स चिन्तपूर्णी।
431	11/99	7081.00	सिनटरी का सामान.	बालराम एण्ड स चिन्तपूर्णी।
423	11/99	8300.00	क्लर टी.वी. 14" आयता.	--

365820-00

34.

निम्नलिखित 10 वरदानों के प्र. 39006-00 रु का
प्रगतान करपादियों की मदों के कपड़े को कम
व सिलाई पर किया गया परन्तु इस कम रकम
पर कपड़े को रोक रजिस्ट्रार ने पत्र नहीं किया
गया और न ही वितरण सम्बन्धी आदेशों पर
किया गया जिससे महसूस होता है कि
वर्ष 1992-93 के अन्तर्गत की गई आ. लोकराज
सम्बन्धी आदेशों पर पात्रता इत्यादि रिकार्ड अग्राज
लोक परीक्षण से प्रस्तुत किया जाए।

वाञ्छित संख्या	मास	रकम	कपड़े का विवरण
139	6/99	8316-00	108 प्री. डेरीकार से
		4736-00	61.5 प्री. रवाजी डेरीकार
		13052-00	
		1995-00	21 प्री. रजिस्ट्रार

421	9/99	13109-00	85-25 प्री. डेरीकार से
			60.50 " रवाजी "
			24.50 " 0.50 डेरीकार
			170.25

157	6/99	10850-00	62 जेन्टिल कपड़ों की सिलाई
			3 लेडीज कपड़ों की सिलाई
			39006-00

285

क। निम्नलिखित प्रकरणों में झाड़ी इत्यादि के लिए जो मन्दिर न्यास द्वारा सामान स्टाक रजिस्टर से जारी किया गया उसके अभिलेख की जांच में पाया गया कि आवेक किसी व्यक्ति का था परन्तु सामान का वितरण किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया गया। इससे दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जाये कि हस्ताक्षर अन्य व्यक्ति के किन परिस्थितियों में करवाए गए थे। स्टाक रजिस्टर में दर्ज सामान के इन्द्राज को मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित भी नहीं किया है। अतः भविष्य में स्टाक से जारी किस गश् सामान को आवेक को ही जारी किया जाय व दर्ज सामान के इन्द्राज को मन्दिर अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाया जाय।

मास	नाम	सामान का विवरण	सामान प्राप्त करने वाले हस्ताक्षर
-----	-----	----------------	-----------------------------------

- 4/99 श्री गुलाब मुहम्मद गांव ठख, जना

। चुन्नी, । हुपटा, । सुट	। करमा.
। साही, । शाल, । थाली,	
4 गलास, । छ का पंखा,	
व 4 कौलियां ।	
2. -- श्री वजीर चन्द, गांव जोह, जना

। सुट, । साही, । शाल,	श्रीमति मामा देवी
। चुन्नी, । हुपटा, । छ का	
पंखा, 4 स्टील थालियां, 4 स्टील गिलास ।	
3. श्री- श्री अली खान, गांव सुरी, जना

। सुट, । साही, । शाल, । चुन्नी	श्रीमति रत्ने देवी.
। हुपटा, । छ का पंखा,	
4 थालियां, 4 गिलास, । हौगा	
। गड़दी, 2 किछाण देसी घी.	
4. -- श्री विष्णु चन्द

। चुन्नी, । हुपटा, । सुट, । साही	श्री हरिदया
। शाल, । छ का पंखा, 4 गिलास,	सिंह,
। कौली, 2 किछाण देसी घी,	
। साही, । थाली ।	
5. 12/99 श्री जोगिन्द्र सिंह

। चुन्नी, 4 हुपटे, । सुट, । शाल	श्री रत्नियाराम.
। कौली, 2 किछाण देसी घी,	
। साही, । थाली.	

6. 12/99 श्रीमति संतोष कुमारी
 1 चुन्नी, 3 हुपटे, 1 सूट, श्री राजेश कुमार.
 1 साड़ी, 1 थाल, 1 गहबू,
 1 थाली, 1 कौली, 2 कि.ग्रा.
 देसी घी।
7. -- श्री हरनाम सिंह
 1 सूट, 1 साड़ी, 1 चुन्नी, श्री सन्त राम
 3 हुपटे, 2 कि.ग्रा. देसी घी,
 1 बाल्टी।
8. -- श्रीमति धुवता देवी
 1 सूट, 1 साड़ी, 1 शाल, 1 चुन्नी. श्रीमति राज
 5 हुपटे, 1 स्टील बाल्टी, कुमारी.
 1 थाल, 1 छा का पंखा,
 2 कि.ग्रा. देसी घी।
9. -- -- कमीरो देवी
 2 सूट, 2 साड़ियां, 2 शाल, श्री विजय कुमार
 2 चुन्नियां, 6 हुपटे, 4 कि.ग्रा.
 देसी घी।
10. -- श्री अरुण कुमार
 1 सूट, 1 साड़ी, 2 शाल, 4 चुन्नियां श्रीमति विजय
 2 कि.ग्रा. देसी घी, 1 पतीला. कुमारी.
11. -- " राम किशन
 1 सूट, 1 साड़ी, 1 शाल, 1 चुन्नी श्रीमति राम
 6 कौलियां, 1 थाली, 1 ट्रे,
 2 कि.ग्रा. देसी घी, 1 टेबल फेन.
12. -- श्रीमति मामा देवी
 1 सूट, 1 साड़ी, 1 शाल, 1 चुन्नी श्री राजीव कुमा
 3 हुपटे, 1 छा का पंखा, 2 स्टील
 थाली, 2 स्टील प्लेटें, 2 स्टील
 कौलियां, 2 कि.ग्रा. देसी घी।
13. -- श्री ध्यान चन्द
 2 चुन्नियां, 3 हुपटे, 1 शाल, श्री पवन कुमार.
 1 साड़ी, 1 सूट, 2 थाली, 2 कौली,
 2 कि.ग्रा. देसी घी, 1 छोटी कौली।
14. -- श्रीमति रक्ता देवी
 2 किनो देसी घी, 1 छोटी कौली, श्री नालक
 1 चुन्नी, 2 हुपटे, 1 शाल, 1 साड़ी,
 1 थाल, 1 छा का पंखा, 4 थालियां,
 4 गिलास, 2 किनो देसी घी.
15. -- श्री ध्यान चन्द
 1 चुन्नी, 2 हुपटे, 1 सूट, श्रीमति शीली
 1 साड़ी, 1 शाल, 1 छा का पंखा, देवी.
 4 थालियां, 4 गिलास, 2 कौलियां,
 2 कीनो देसी घी।

16. 12/99 श्रीमति सोमा देवी

1. पुत्री, 3 बेटे, 1 बेटा,
1 साही, 1 कोटी, 1 बेटा,
1 क्वार यही, 1 बेटा का पता,
4 गिलास, 4 थाली, 2 किल्ला
देवी थी।

श्री पवन कुमार,

17. श्री बाबा सिंह

1. पुत्री, 2 बेटे, 1 साही,
1 बाल, 4 थालियाँ, 1 क्वार
की यही, 1 कोटी, 2 किल्ला
देवी थी।

श्री अनय कुमार

श्री मन्दिर के वस्तु प्राप्त रजिस्टर के अवलोकन से पाया गया कि
निम्न वर्णित अवधि में दान के रूप में प्राप्त सामान को गणना में न
लिया गया। अतः इस सामान की कीमत शीघ्र निर्धारित की करके
इस वस्तु की दोषियों से करके अनुपालना से आगामी अंतिम पर
अवगत किया जाय।

मातृ/पिता

मातृ/पिता	यदावा रजिस्टर पृष्ठ	वस्तु का नाम
2 14.4.99	4743	2 टी शर्ट
27.4.99	4744	1 कोटी
29.4.99	4747	1 बाल, 7 थालियाँ
30.4.99		11 गिलास

माता चिन्तपूर्णी के स्टॉक रजिस्टर अवधि 1/99 से 12/99
के वर्धित मासों का अंतिम करने पर पाया गया कि निम्न प्रकारों
में सामान को बिना किसी आवेदन या तत्काल अधिकारी की स्वीकृति
से ही जारी किया गया। यह अनियमित है। अतः बिना किसी
आवेदन के अर्थात् निवेदन के सामान को स्टॉक से जारी करने के
सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाय।

मातृ	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ	सामान का विवरण	सामान जिसे जारी किया गया।
4/99	2546	1 पुत्री	
	2548	1 बेटा	श्रीमति कस्तुरी देवी।

2257	। सूट	
2553	। शाल	
2289	। साड़ी	
6	। कस का पैजा	
105	3 थालियाँ	
35	3 गिलास	
2595	2 किलो क्षी घी	
--	2 स्टील कोलियाँ	
12/99	2545	। चुन्नी
	2515	। हपटटा
	2257	। सूट
	2253	। शाल
	2289	। साड़ी
	6	। कस का पैजा
	105	3 थालियाँ
	35	3 गिलास
	2595	2 किलो क्षी घी ।

श्री ज्योत सिंह.

26.

हि090 हिन्दू सार्वजनिक दार्शनिक संस्थान पूर्व विन्यास अधिनियम 1994 की धारा 6 के अनुसार मन्दिर द्वारा अधिग्रहण के समय मन्दिर में स्थित चला एवं अकल सम्पत्ति से सम्बन्धित स्टाक रजिस्टर का रख रखाव किया जाना अपेक्षित था परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा उक्त रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया था। अतः अपेक्षित रजिस्टर का निर्माण शीघ्र किया जाए व मन्दिर अधिकारी का द्वारा सत्यापन के उपरान्त आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंशक के समय उपलब्ध करवाया जाए ।

27.

सोना व चाँदी :-

।क। अवधि 1/99 से 12/99 तक के चयनित मासों में प्राप्त सोना चाँदी के स्टाक रजिस्ट्रों का लेखा परीक्षा करते

समय पाया गया कि 870 ग्राम 385 मीली ग्राम सोना कम दर्जाया गया है जिसका ब्योरा परिरिकट-II में दिया गया है। इसका औचित्य अंकेक्षण को स्पष्ट किया जाए। रटाक रजिस्टर में सोने को कम दर्जाना एक गम्भीर अनियमितता है। अतः कम गणना किस गए सोने की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वर्तमान बाजारी मूल्य पर की जाए व मन्दिर निर्धि में जमा करवाई जाए। अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

1. माता चिन्तपुर्णी मन्दिर न्याय चिन्तपुर्णी के सोना चान्दी रजिस्टर के अनुसार अंकेक्षण अधि तक सोने का भंडार 49 किगो 45। ग्राम 505 किग्रा. है। जिसे तहसील कोषागार अम्ब, जिला ज्मा में सुरक्षित रखा जा है। सोने की मात्रा को ध्यान में रखते हुए मन्दिर आयुक्त को सुझाव दिया जाता है कि सोने का निवेश भारतीय मोल्ड बांड योजना के अंतर्गत किया जाए ताकि अचल सम्पत्ति पर ब्याज अर्जित किया जा सके। सोना एवं चान्दी का पूर्ण विवरण अनुबन्ध-4 में दिया गया है।

28.

टेलीफोन बिलों का अनियमित भुगतान :-

चर्यानित मासों का अंकेक्षण कले पर पाया गया कि माह 4/99 व 12/99 के टेलीफोन बिलों का भुगतान वाउचर 35199 व 497/99 द्वारा रु 1442.00 व 4144.00 रु दिया गया तद्वम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया था कि बिल में कोई गई कोलें सरकारी हैं। इसके अतिरिक्त मन्दिर न्याय द्वारा टेलीफोन रजिस्टर का भी रख रखाव नहीं किया गया है जिससे सरकारी एवं निजि कालों की पहचान की जा सके। अतः उपरोक्त अनिष्ट के अभाव में इन भुगतानों की जांच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। मन्दिर अधिकारी से अनुरोध है कि उपरोक्त बिलों के समस्त भुगतानों की पूर्ण रूप से पहचान करके निजि कालों की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों से करके राशि को मन्दिर निर्धि में जमा करवाएं तथा भविष्य में टेलीफोन रजिस्टर का सुचारु रूप से रख रखाव सुनिश्चित करवाएं।

1 क। अंश के दौरान पाया गया कि 1.5.99 को अवधि 19.9.97 से 23.4.99 तक दानपात्र से प्राप्त फटे पुराने नोट रु0 112510.00 रु0 की राशि को रोकड़ वही में आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था और रोकड़ वही से इस आय को बाहर रखा एक गम्भीर अनियमितता है। इस राशि को वित्तिक 1.5.99 को श्री राकेश कुमार देहरा जिला कांगड़ा को 10 प्रतिशत कमीशन देकर बकी कराया गया और प्राप्त राशि 101259.00 रु0 रोकड़ वही आय के रूप में दर्ज किया गया। इसी सन्दर्भ में अभिलेख से प्रतीत हुआ पूर्व में फटे पुराने नोट 4 प्रतिशत कमीशन पर बटोले गए थे। अतः अत्यधिक कमीशन देकर नोट बटवाने का औचित्य अंश को दिया जाए और भविष्य में फटे पुराने नोटों को निज व्यक्तियों/संस्था की अपेक्षा राबद्राय कृत बैंक, स्टेट बैंक आफ इंडिया अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की नजदीकी ब्रान्च से सम्पर्क कर फटे पुराने नोटों को बटवो सुनिश्चित की जाए।

1 ख। अवधि 24.4.99 से 31.12.99 तक मन्दिर न्यास चिन्तपुर्णी प्राप्त निम्न व्योरे के अनुसार 82756.00 रु0 फटे पुराने नोट है।

उक्त राशि को रोकड़ वही में आय के रूप में नहीं लिया गया और न ही फटे पुराने नोटों के विनिमय हेतु राबद्राय कृत बैंकों से सम्पर्क किया गया। उक्त फटे पुराने नोटों के सामान आय राशि को रोकड़ वही में दर्ज किया जाए और विनियमित होने पर कमीशन की राशि को छर्के के रूप में रोकड़ वही तथा खाता वही में दर्ज किया जाए। भविष्य में प्राप्त फटे पुराने नोटों को रोकड़ वही में आय के रूप में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

नोटों की सं०

राशि

500x2	1000.00
100x56	3600.00
50x114	5700.00
20x57	1340.00
10x1543	15430.00
5x33388	27788.00
2x11013	22026.00
1x3860	3860.00

82756.00 रु0

.....34....

यात्री भवन :-
=====

यात्री भवन रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 28.12.99 को श्री अजाद सिंह सप्टा श्री गजब सिंह गांव गौकुलपुर दिल्ली को यात्री भवन कमरा नं० 109 और भेटरी में ठहरने पर 10 विस्तारों को 50.00 रुपये प्रति घंटा विस्तार की दर से 500.00 रुपये की राशि की वसूली की जानी अपेक्षित थी जिसे अधिक अवधि तक लेखे में जमा नहीं करवाया गया था। अतः 500.00 रुपये की वसूली दोनों से सीधे काल करके लेखे में जमा करवाई जाये अनुपालना से। अधिका को अवगत करवाया जाये।

34.

मन्दिर न्यास चिन्तमूर्तियों के कर्मचारियों के वेतन बिलों के अद्योक्त से पाया गया कि कर्मचारियों के वेतन बिलों से अदायी भविष्य के रूप में 10 प्रतिशत की कटौती की जा रही है और इसी प्रतिशत का योगदान नियमानुसार मंदिर न्यास द्वारा दिया जा रहा है। परन्तु इस संयुक्त राशि को आयुक्त अदायी भविष्य निधि के कार्यालय में जमा करने के हयान पर सीधे अधिकारी एवम सम्बन्धित कर्मचारी के संयुक्त हस्तक्षेप से जमा किया गया। यह अनियमित है इसका ब्योरा निम्न प्रकार से है। अतः मांगना उच्चाधिकारियों के हयान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है। अधिका अवधि में अदायी भविष्य निधि के रूप का ब्योरा निम्न प्रकार से है।

मास	वास्तव	राशि
1/99	1184	15,326.00
2/99	1225	2,338.00
3/99	1255	17,664.00
4/99	1328	22,380.00
5/99	03	22,380.00
6/99	08	23,580.00
7/99	61	22,636.00
8/99	124	57,208.00 बकाया राशि
		1.7.98 से 31.1.99.

... 34 ...

202

7/99	185	22,636.00
		23,066.00
8/99	259	27,446.00
	258	648.00
9/99	366	27,446.00
	430	27,884.00
10/99	431	56,206.00 डी.ए. की
		बकाया राशि 199 से 5/99.
11/99	408	27,896.00
12/99	468	27,046.00
	469	136.00

मु. 60,625.00 रुपये का अनियमित व्यय :-

वॉचर	मास	राशि
3691	9/99	33,200.00
411	11/99	27,425.00

वैष्णव अधि में मन्दिर न्यास चिन्तणों द्वारा मन्दिर न्यास के नियमित कर्मधारियों को प्रावण अष्टमी मेला-1999 व ज्ञान नवरात्रा मेला 1999 के दौरान कार्य करने पर मु. 33,200.00 रुपये व 27,425.00 रुपये का भुतान विना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से किया गया। अतः इस और चर्चार्थन की प्रीतिपूर्ण रूप से किया गया।

वारचर सख्या: 40, मास 4/99 राशि 65,966:-

उपरोक्त वारचर द्वारा 65,966.00 रुपये का भुतान वतौर विभिन्न चिजली विलों के रूप में किया गया लेखाओं को जांच में पाया गया कि विजली रजिस्टर का रज खाब न्यास द्वारा नहीं किया जा रहा है। रजिस्टर न रखे जाने का जोचित अक्षेप को दिया जाये इसके अतिरिक्त इस राशि में उपरोक्त सख्या 305 जो कि श्री ~~श्याम~~ बालक राम शर्मा के नाम का है, का 691.00 रुपये का भुतान भी मन्दिर न्यास द्वारा किया गया। मु. 691.00 रुपये का भुतान मंदिर लेखों पर उचित प्रकार नहीं है। अतः इस राशि की दोषी से ज़ाली की जाये व अनुमान आगामी अक्षेप दर्शाई जाये।

१४४ डाक टिकट रजिस्टर :-

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि दिनांक 28.2.99 को डाक रजिस्टर के पृष्ठ 63 पर प्रारम्भिक शेष में 30.00 रुपये कम दर्शाए गए हैं। अतः 30.00 रुपये की वसूली दोषी से की जाये। अनुपालना आगामी अक्षिण में दर्शाई जाये।

4 गण मन्दिर न्यास चिन्तनों के प्रेषण रजिस्टर में पाया गया कि मन्दिर द्वारा रासकीय टिकटों के स्थान पर धुआं धारण डाक टिकटों का प्रयोग किया जा रहा है इससे टिकटों की दुर्बिनि-योजन से हन्कार नहीं किया जा सकता। अतः मन्दिर आयुक्त से अनुरोध है कि भविष्य में रासकीय टिकटों का ही प्रयोग किया जाये। अनुपालना आगामी अक्षिण में दर्शाई जाये।

विविध अनियमितताएँ :-

34.

मन्दिर न्यास द्वारा वार्षिक बजट का निर्माण नहीं किया जाता जिससे यह ज्ञात हो सके कि मन्दिर की वार्षिक आय व व्यय का अनुमान क्या है। अतः मन्दिर प्राधिका रियों से अनुरोध है कि बजट की सक्षम अधिकारी को स्वीकृति से पारित करवाया जाये।

2. मन्दिर न्यास के लेखाओं को जांच में पाया गया कि स्टाक रजिस्ट्रों का सत्यापन मन्दिर अधिकारी द्वारा नहीं किया जाता है। अतः मन्दिर प्राधिका रियों से अनुरोध है कि स्टाक रजिस्ट्रों का सत्यापन यथा समय सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाये इसके अतिरिक्त मन्दिर सम्पत्ति के स्टाक रजिस्टर कनिष्ठ अभिपन्नता मन्दिरों द्वारा मन्दिर स्टाक रजिस्टर एक्स भ्रवाई यात्री भ्रमन के अलग अलग रखे गए हैं। स्टाक रजिस्टर अलग अलग रखी जा औचित्य अक्षिण को दिया जाये। मन्दिर प्राधिका रियों को यह भी परामर्श दिया जा रहा है कि जब एक्स अवल मन्त्रि सम्पत्ति का एक ही रजिस्टर रखा जाये अनुपालना आगामी अक्षिण में दर्शाई जाये।

204

...36...

36

रसीद बुक :-

रसीद बुक के अभिलेख से पाया गया कि रसीद बुक के जिन्हे
आवण व असुन नवरात्रा भेले के लिए मुद्रित करवाई गई परन्तु रसीद
बुक 1 से 48 एवम् 50 अधिग में उपलब्ध नहीं करवाई गई । जिस
कारण इन रसीद बुकों की अधिग में जांच नहीं की जा सकी । अवेदित
रसीद बुकों को अभिलेख से हट कर आगामी अधिग में उपलब्ध करवाना
सुनिश्चित किया जाये ।

36

वाउचर संख्या : 479, मास 12/99 राशि 1750.00 रुपये :-

उपरोक्त वाउचर : द्वारा अवधि 1.5.99 से
30.11.99 तक निम्न ब्यौरे के अनुसार समाचार फन क्रय करने पर
रसा न्यून एजेन्सी चिन्तनों को भुगतान किया गया परन्तु समाचार
फनों का रजिस्टर अधिग में नहीं दिखाया गया । अतः समस्त समाचार
फनों का प्रतिदिन रजिस्टर में दर्ज किया जाये अनुपालना से आगामी
अधिग को अवगत किया जाये ।

पंजाब बैसरी	565.00
दि दिब्यून	426.00
जनसत्ता	639.00
दिब्य हिमाचल	120.00
१1.10.99 से 30.11.99	55
	1750.00 रुपये

37

मन्दिर न्यास के लेखाओं की जांच में पाया गया कि वा0
संख्या 1302 मास 2/99 द्वारा 12780.00 रुपये का व्यय सफाई कार्य
हेतु अवधि 8.1.00 से 31.1.99 व 1.2.99 से 14.2.99 तक 8
आदमी मस्टील पर रखकर किया गया व 8 आदमी 11/12/99
* 13 दिन * 60.00 रुपये = 6240.00 रुपये व 7 आदमी 14 दिन
* 60.00 रुपये = 5880.00 + 1 आदमी 1 दिन * 60.00 रुपये = 660.00 रुपये
कुल = 6540.00 रुपये ।

...

उपरोक्त व्यय के सन्दर्भ में निम्न अपत्तियां प्रकार में आई :-

1. मन्दिर न्यास के पास नियमित सप्ताह कर्मचारी उपलब्ध है। अतः इस कार्य के निष्पादन हेतु सप्ताह कर्मचारियों की सेवाये भी ली जा सकती थी। अतः इस बारे में औचित्य अंश को दिया जाये।

2. उक्त मस्दौल पर रखे गए आदमियों को 60.00 रुपये दैनिक मजदूरी दी गई जबकि सरकार द्वारा औचित न्यूनतम मजदूरी 51.00 रुपये है। अतः अधिक दी गई राशि 1917.00 रुपये की कुली दोषी से ली जाये।

8x13 दिन x 9 = 936.00 रुपये

7x14 " x 9 = 882.00 रुपये

1x11 दिन x 9 = 99.00 रुपये

= 1917.00 रुपये

1. गा. वाउचर संख्या: 1398। प। दिनांक 3.3.99 राशि 7000.00 रुपये:

श्री विट्ठू राम निवासी चिन्तपूर्णा को भेजा के दौरान दिनांक 18.3.99 से 28.3.99 तक सप्ताह व्यवस्था बनाए रखी केलिए मन्दिर न्यास प्रबन्ध व्यवस्था की बैठक दिनांक 9.3.99 द्वारा 7000.00 रुपये का ठेका दिया गया परन्तु इसी कार्य के निष्पादन हेतु 6630.00 रुपये का भुगतान वाउचर संख्या 1398। प। दिनांक 3.3.99 द्वारा निम्न व्यौरे के अनुसार कुल आदमियों को मस्दौल पर रख कर किया गया। अतः इस अतिरिक्त भुगतान बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये।

38.

निर्माण कार्य का नाम : मन्दिर कम्पलेक्स का विस्तार कार्य।
अनुबन्ध संख्या : टी.डी.सी.-10/99, दिनांक 1.1.98
सविदाकार का नाम : श्री राज कस्तूराम कम्पनी प्रबुल्ला
हिरियाणा।

श्री सुशील घुमन वास्तुकार द्वारा उक्त कार्य के निष्पादन हेतु 1146561.00 रुपये का प्राक्कन/अनुमान तैयार किया गया परन्तु

उक्त अनुमान तक्ष्म तबनी की अधिवारी द्वारा स्वीकृत नहीं करवाये गये थे कार्य आर्बटन से पूर्व कोई विभागीय दर औचित्यता स्मारनहीं की गई थी। अधिका के दौरान यह पाया गया कि निम्नलिखित मदों के दर अधिक बाजार भाव को आधार मानकर तैयार किए गए ता कि संविदा कार द्वारा प्रस्तुत दरों को ठीक ठहराया जा सके जबकि एक अन्य नस्ति पर र विवलेखित किए गए थे। अतः विभाग द्वारा विवलेखित दरों से अत्यधिक दरों पर कार्य का आर्बटन किया गया जो कि सी.पी. डब्ल्यू अनुख भाग-II के पैरा 4.31, 4.32 व 20.1 17.3 के अनुसार समुचित है। निर्माण कार्य को अमरी दरों पर आर्बटित करके संविदाकार को जहाँ एक ओर अधिक आर्थिक लाभ पहुँचाया गया प्रतीत हो ता है वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्य की कुल लागत में अत्याधिक बढ़ोतरी भी हुई है। इस प्रकार की पूर्ण जाँच की जाय तथा कारतु स्थिति से अधिका विभाग को सूचित किया जाये भविष्य में निर्माण कार्य आर्बटन से पहले पूर्ण प्रडिया का नियमानुसार पालन करना सुनिश्चित किया जाये।

उक्त निर्माण कार्य के लिए कुल 7 निविदाये प्राप्त हुई और 10 बलिया विल्डर की दरें 10231686.00 रुपये का लागत के लिए थी और 10 राज कन्स्ट्रक्शंस द्वारा प्रस्तुत दरों की कुल लागत 11466562.00 रुपये मूल्य का था। इस प्रकार इस में 12,34,876.00 रुपये अन्तर था। परन्तु कार्य का आर्बटन 10 राज कन्स्ट्रक्शंस की ही किया गया। क्योंकि बलिया विल्डर ने 90 प्रतिशत सुरक्षित अग्रिम को शर्त लगाई थी इसलिए मन्दिनर अधिका रियों द्वारा कूरे कम रेट को निविदाय वाले ठेकेदार को निर्माण कार्य आर्बटित कर दिया गया ठेकेदार से दरों को कम करने वाले नियमानुसार चर्चा निगो रिफ्रेश नहीं की गई। इसके अतिरिक्त अनुबन्ध में नियमों का उल्लेख अतिरिक्त निष्पादित की जाने वाली थी। निर्माण मदों पर जाभाश देने का प्रावधान नहीं, बिजली-पानी की आपूर्ति हेतु काली का प्रावधान किया गया। अतः इस सम्बन्ध में समस्त औचित्य अधिका को प्रस्तुत किया जाये कि उक्त वर्धित गम्भीर अनियमितताओं को नजर अंदाज करके कार्य का आर्बटन क्यों किया गया। यह

मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में आगामी कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है। किन्तु दरों पर कार्य निष्पादित करवाया गया व विशेष विरले जित दरों के अनुसार भुगतान न करने के परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार रु 2,54,092.00 रुपये का अधिक भुगतान निम्न कार्य मात्राओं में अधिक बढ़ाधि तक पाया गया

मद का नाम	विरले जित दर रु.	संविदाकार द्वारा अंतिम दर रु.	जित में निष्पादित मात्रा	दरों में अन्तर रुपये	अधिक भुगतान
1/11, कटिंग एर अर्थ वर्क जम्पर वर्क	71.35	110.00	1304.83 एम ³	38.65	50431.65
2/2 एरकावेस इन फाउन्डेशन देव अर्थ वर्क इन जम्पर वर्क	108.15	133.00	227.90 एम ³	24.85	5663.30
3/3 प्रोजेक्टिंग एण्ड लेइंग सीमेंट कंजिट 1:6:12 इन फाउन्डेशन	909.05	1323.00	67.90 एम ³	413.95	28107.20
10/4 ए प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग कंजिट 1:1:2 इन फाउन्डेशन, फुटिंग डेलिस आ फ कालम	1847.55	2023.00	68.316	175.45	11986.00
10/4 बी. इन बाल आ फ थिक्नेस वाटरलेस रेलिंग एण्ड स्टेरिंग कोर्स फाउन्डेशन से दूसरे लेवल तक।	1899.60	2023.00	73.00 एम ³	124.40	9008.00
10/4 सी. - इन सरफेस फॉर आ फ लेइंग रैल्फ बालकोनी बीमा कन्टी नीवर फ्लोर. 2 तक	1847.55	2023.00	246.4 एम ³	175.45	43232.60

10/4/डी॥ नॉनम एण्ड पिल्लर पोस्ट 1962.45 2023.00 70.85 3 60.35 4290.00
एण्ड सटलिट दूरे लेवल

कंक

11/26 10एम.एम.सी.मेट 36.10 70.00 951.48 33.90 32255/-
प्लास्टर जान फेयर
साईं आफ दिक्/
कंडीटे वाल फार
इटरनल प्लास्टरिंग
समूथ सीमेट मोरटर
1:4 दूरे लेवल तक

12/11 रफ पैटिंग बि हाट 23.90 35.00 463.67 29.19 13492.78
वियुमन 17 कि. प्रति
10 वर्ग फीट इन्क्लूडिंग
क्री किंग आफ स्लेब
सरफेस विद ड्रा

14/25 हा फ ड्रिक वर्क इन 246.40 300.00 109.13 53.60 5848.75
सीमेट मोरटर 1:4
इन सुपर स्ट्रक्चर
पतिथ लेवल से ऊपर

18/15 प्रोवाइडिंग एण्ड 213.70 300.00 18.14 86.30 1565.90
लेइंग सेड फिनिश इन
फ्लोर

30/8 38एमएम थिंक डी.पी. 93.50 200.00 1.52 106.50 161.85
सी 1:2:4 एण्ड क्यूरिंग
कम्पलीट

21/28 6एमएम थिंक सीमेट 25.95 60.00 739.164 34.05 25168.50
प्लास्टर, सी लिग, इन
सीमेट मोरटर 1:4

61 209-

31/9 एजार्डन कोट आफ
विमूखन 180/100 मैक्स-
फास्ट 1.70 कि.ग्रा. प्रति
वर्ग मीटर

20.60 33.00 1.52 12.40 18.85
एम²

51/27 15 एमएम सीमेंट प्लास्टर
इन सिगन कोट जान रफ 43.50
साईड आफ ब्रिक स्टोन
दूबारे लेवल तक ।

66.50 170.73 23.00 3926.80
एम²

16/23 ब्रिक वर्क कामन ईंट
को विडिलिंग ब्रिक्स इन
क्लेस एण्ड पॉलिमर
1:6 सीमेंट ग्रेडर ब्रिक
वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर

1445.00 1900.00 23.46 455.00 10674.30
एम³

पी. एण्ड लेडी
सी.सी. वर्क 1:2:4
एण्ड क्यूरिंग कम्पलीट
इन्क्यूडिंग फार्म वर्क एण्ड
रिइन्फोर्समेंट

1902.05 2023.00 68.316 12.00 8266.00
61.470 एम³
246.410
85.70

416.896

योग :- 254092.00

उपरोक्त नियमानुसार प्रविद्या न अपनाये जाने के परिणाम-
स्वरूप उक्त रु 2,54,092/- रुपये के अधिक भुगतान की उत्तरदायित्व
निर्धारित किया जाये तथा इस विभाग को सूचित किया जाये ।

वारधर सख्या:483, मास 12/99 राशि 2133835.00 रुपये :-
=====

मन्दिर के विस्तार भवन के निर्माण कार्य की म. मार्कल
की मदों 1/99, 48,49,31 के निष्पादन हेतु 10 राज कन्स्ट्रक्शन
कम्पनी पब्लिका को रु 21,33,835.00 रुपये का सुरक्षित अग्रिम
का भुगतान किया गया। सविदाकार द्वारा अत्याधिक मात्रा
में सामग्री ख़य करके अधिक अग्रिम 88 राशि प्राप्त की गई है तथा

सामान के प्राप्ति पर किसी तस्वीर की अधिभारी द्वारा इसकी गुणवत्ता एवं ठीक मूल्य को पृष्ठित नहीं की गई है। अतः समस्त तस्वीरों की प्राप्तिभारी द्वारा उक्त निर्माण सामग्री को गुणवत्ता एवं मूल्य की पृष्ठित कबलाई जाये तथा यह भी सूचित किया जाये कि उक्त सामग्री से कितनी कमी तक प्रयोग करके उसकी वास्तविक तस्वीर अन्तिम भूतान किए बिना तक हो चुकी है। इस की गई सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से है :-

सामान	मात्रा	दर	राशि	फर्म का नाम
मकराना प्रथम क्लास लिट्टी 1000 वॉलीट 235/-	2,35,000.00			डी.सी.एम.मार्क देखना 30
				अमेर राजस्थान जिन संख्या
				117, दिना 20.11.99

1042 --	200/-	2,08,400.00
459 --	145/-	66,555.00
746.85 --	110/-	82,152.00

40 एसएम ग्रेनाइट पट्टी चौक 1000 -- 30/- 31,000.00
30,000.00

छाया ग्रीन 2x2 400नं. 12/- 4,800.00
कटिंग व सेवर 250 वॉलीट 10/- 25,010.00

6,31,917.00

चिप्टी कर 25,076.00

वॉलीटिंग 800.00

6,77,793.00

2. मकराना प्रथम क्लास लिट्टी 1300 वॉलीट 235.00 3,52,500.00 डी.सी.एम. मार्क देखना व
मकराना लिट्टी 900 -- 145.00 1,30,500.00 अमेर राजस्थान जिन संख्या 145
21.11.99.

40 एमएम ग्रेनाइट पट्टी 900x60 फीट 3000 27000.00

ब्लैक

40 एमएम ग्रेनाइट पट्टी 1320 " 30.00 39600.00

ड्राफ्ट

लेवर व कटिंग 2400 फीट 10% 24000.00

573600.00

बिजली कर 21984.00

लौ डिग 800.00

396384.00

मकराना प्रकम खा लिटी 1479x60 फीट 235.00 347565.00

मकरान द्वितीय खा लिटी 3000 - - 145.00 435000.00 विल लो 227
दिनांक 28.11.98

लौ डिग कटिंग 4479 - - 10.00 44790.00

827355.00

बिजली कर 31303.00

लौ डिग 1000.00

859658.00

40. निर्माण कार्य का नाम : माता विन्तलूर्णी मन्दिर भवन का विस्तार ।

सविदावार का नाम : 90 राज कन्स्ट्रक्शंस को प्रेषकता ।

अनुबन्ध संख्या : टी.टी.सी. 10/98 दिनांक 7.1.98

④ करवाया गया था परन्तु इन अर्थों के निष्पादन

उपरोक्त निर्माण कार्य के 10वें चलत विल की जांच करने पर पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य करवाते समय अनेक अतिरिक्त मकानों का निष्पादन के बारे में निर्धारण बारे लक्ष्य तकनीकी अधिकारी से अनुमति प्राप्त किया गया था तथा इन मदों के निष्पादन से सम्बन्धित भूतलान्तरों के आधार पर ही किया जा रहा है। यह अनियमितता उच्च अधिकारियों के ध्यान में ली गई उचित कार्यवाही हेतु लाई जाती है।

मप का निबन्ध

कार्य की योजना

५५/अर्थशास्त्र

अर्थशास्त्र

डिप्लोमा ऑफ अर्थ एंड
बिजिनेस रिकॉर्डिंग, एच.ए.एम.ए.

1369-24
एच.ए.एम.ए.

63-26

86618-50

डिप्लोमा ऑफ एच.ए.एम.ए.
इन गिजो लीशियन

72-एच.एम.ए.

96-40

6940-80

एच.ए.एम.ए. - डिप्लोमा

152-24 वॉन्सो

319-9

48701-60

रिपोर्टिंग वाला

710-9 वॉन्सो

155-00

110189-50

पर

ओरिनामेटल फार्म ऑफ फार्म

विंडो गिल

प्रथम तल

2 3364

2158-00

4316-00

द्वितीय "

5 "

2374-00

11870-00

तृतीय "

8 "

2611-00

20888-00

चतुर्थ "

9 "

2872-00

25848-00

फार्म ऑफ फार्म डबल स्टोरी

4086 वॉन्सो

170.25

8958-10

डिप्लोमा ऑफ निज वॉन्सो

27.14 वॉन्सो

306-00

8304-00

ग्राऊंड लेवल के अपर

3.73 वॉन्सो

1470-00

5483-60

डिप्लोमा ऑफ डिप्लोमा एच.एम.ए.

222 वॉन्सो

25-00

5550-00

लेवल से दूसरे लेवल तक

232-66 वॉन्सो

24-25

5642-00

प्रोवाइडिंग डिप्लोमा एच.एम.ए.

222 वॉन्सो

25-00

5550-00

आयरन फ्रेम डिप्लोमा

232-66 वॉन्सो

24-25

5642-00

फार्म वॉन्सो डिप्लोमा एच.एम.ए.

232-66 वॉन्सो

24-25

5642-00

फार्म वॉन्सो डिप्लोमा एच.एम.ए.

232-66 वॉन्सो

24-25

5642-00

कॉन्स्ट्रिक्ट डिप्लोमा एच.एम.ए.

47.16 वॉन्सो

143-00

6743.90

फार्म वॉन्सो डिप्लोमा एच.एम.ए.

47.16 वॉन्सो

143-00

6743.90

फार्म वॉन्सो डिप्लोमा एच.एम.ए.

47.16 वॉन्सो

143-00

6743.90

आय.एम.ए.

19.70

316-00

6004-00

4,21,891-65

44.

मन्दिर विस्तार भवन के निर्माण कार्य के चलते लोगों की जाधि करने पर पाया गया कि अनुबन्ध के अनुसार विभिन्न कार्य मद्यों की मात्रा में व वास्तव में जो कार्य निष्पादित हुआ है में वस्तु अधिक अन्तर है। इसी अधिक मात्रा में विवरण में देखते हैं। के सम्बन्ध में, तथ्यों से वागमों अधिगण पर उद्घाटन करवाया जाये और इस सम्बन्ध में जोचित स्पष्ट करने के साथ साथ इस नियमितता को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये।

मद सं०	कार्य का विवरण	कार्य की अनुबन्ध के अनुसार मात्रा	निष्पादित कार्य की मात्रा	अन्तर	प्रतिफल अन्तर
1/1	छाटिंग इन अर्थ वर्क	1197.25 घम मी०	1304.83 घम मी०	107.58 घम मी०	9.98
2/2	हरकेश्वर इन अर्थ वर्क	186.50 घ.मी.	214.26 घ.मी.	27.86 घ.मी.	14.93
6/3	प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग सी.सी. 1:6:12	46.50 घ.मी.	21467.90 घ.मी.	21.40 घ.मी.	46.03 घम मी.
8/52	प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग माईल स्टील राफ रिइन्फोर्समेंट	552 क्वटल	764.15 क्वि	212.15 क्वि	38.43
9/7	फार्म वर्क इन वीम लन्टीलीवर मिरर इत्यादि	10.80 घ.मी.	1419.556 व.मी.	339.556	31.44
12/11	पेटिंग आफ स्फ विद होट विबुम	250.50 घ.मी.	463.67 घ.मी.	213.17 घ.मी.	85.09
18/15	प्रोवाइडिंग एण्ड लेईंग सेड फिलिंग लाइर क्लोर	17.35 घ.मी.	18.145 घ.मी.	0.795	4.58
47/41	प्रोवाइडिंग एण्ड फिलिंग आरनामेटल ब्राज्ज वर्क जान टाफ आफ बार.सी.सी. कालम एट फेरापेट लेवल	1 जाव	2 जाव	1 जाव	100%

47/41 प्रोवाइडिंग एण्ड फिलिंग आरनामेटल ब्राज्ज वर्क जान टाफ आफ बार.सी.सी. कालम एट फेरापेट लेवल

-46- 214-

48/46 प्रोवाइडिंग एण्ड फिक्सिंग 12 नं 13 नं 1 नं 0.342

आरनामेटल गीपूर

54/48 प्रोवाइडिंग एण्ड लेइंग 612 765.80 153.30 25.132
 ग्रेनाइट स्टिप इन र.मी. र.मी.

फ्लोरिंग

49 मु. 16,00,000.00 रुपये का अनियमित अग्रिम :-
 =====

निम्न विवरणानुसार सविदा कर मे 0 राज कंस्ट्रक्श
 कम्पनी पुरुबूला 1 हरियाणा को बतौर अग्रिम दिया गया ओ
 सविदा कर को अग्रिम दिए जाने का नियमों में कोई भी प्रावधान
 नहीं है और न ही अग्रिम दिए जाने की शर्त अनुबन्ध में रखी गई
 थी अग्रिमों का समायोजन ठेकेदार से चलत जिलों से बिना ब्याज
 चार्ज किए किया गया मामला उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया
 जाता है ताकि ब्याज को हुई हानि की भरपाई सविदा कर से की
 जाये कसूल की गई राशि को सन्दर लेख में उवा करके अनुपालना
 वागानी कटिप में दर्ज जाये ।

वा0स0 मास/दिनांक अग्रिम की समायोजन की तिथि
 राशि

327	9.3.99	2,00,000.00	28.6.99 एम.बी.20 पु 36 सात्वा चलत जिले 1
31	19.4.99	5,00,000.00	एम.बी.20 पु 92 नौवा चलत जिले
385	12.9.99	9,00,000.00	12.12.99 एम.बी.15 पु 80 दलवा चलत जिले
कुल :		16,00,000.00 रुपये	

यदि उक्त अनियमित अग्रिम का भुगतान किया जाना
 अवहित था तो न्यूनतम दर सविदा के आधार पर कार्य आबंटित न
 किये जाने का औचित्य दिया जाये ।

...

निर्माण कार्य जॉबटन में अनियमितता :-

अनुबन्ध सं० 10/98 जिस द्वारा विस्तार भवन माता

चिन्तस्पर्शों का निर्माण कार्य किया गया था के अवलोकन से पाया गया कि निविदाथे जामन्त्रित करने व अनुबन्ध में दो गई शर्तों को निर्माण किन्नाग के भूखण्ड के अनुसार स्मार नहीं की गई थी यह शर्तें वास्तुकार द्वारा स्मार को गई थी तथा यह कि नियम/सुपनियम के अनुसार स्मार करवाई गई थी जहाँ उल्लेख अधिका की नहीं दिया गया सम्बन्धित कार्य के प्रारम्भिक अनुमान भी स्मार नहीं करवाये गये व निविदाथे जामन्त्रित किए जाने पर संविदान कारों द्वारा दी गई दरों के आधार पर तुलना तब विवरणी स्मार की जानी जोधित थी तदनुसार यह निर्धारण किया जाना था कि किस संविदाकार की प्रस्तुत दरें न्यूनतम थी इसके परवात न्यूनतम दरों को प्रस्तुत करने वाले संविदाकारों की दरों का वाजारी मूल्य पर 22.5% आधारित दर विशेषण करके मद सत्यापित किया जाना था कि ये दरें मानक दर सूची-19874 प्री नियम से किस्ती अधिक थी व दरें अधिक होने के क्या कारण थे? इस बारे स्पष्टीकरण दिया जाये कि यह मान दर अनुसूची से 2% किस्ती प्री नियम पर यह कार्य जॉबटन किया गया था की गणना क्यों नहीं की गई थी तथा वाजारी भाव से अधिक दरों पर किना नेगी रिश्वत किए कार्य को जॉबटन करने का औचित्य अधिका को दिया जाये ।

44.

मास 12/99 राशि 1507031.60 रुपये

निर्माण कार्य का नाम : विस्तार भवन माता चिन्तस्पर्शों

अनुबन्ध संख्या : 10/98

संविदाकार का नाम : 80 राज कन्स्ट्रक्शन् कम्पनी
जिला : कसबा बल्लभ जिला ।

मात्र पुरस्त्त 15 दृष्ट 37 की जाध में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निम्न मदों का निर्माण कार्य करवाया गया जिसकी दरें मानक दर अनुसूची में नहीं थी अर्थात् ये मदें अनुसूची में शामिल नान रख्युली नहीं थी। निम्नानुसार ऐसी दरों का संविदाकार को भुगतान वर्तमान वाजारी मूल्य/दरों पर तब करके किया जाना अपेक्षित था परन्तु अधिका के दौरान देखा गया कि संविदाकार को इन मदों का भुगतान उसके द्वारा मांगी गई दरों अर्थात् रु 15,06,844.00 रुपये कर दिया गया जो कि गम्भीर अनियमितता है इसके दृष्टिगत संविदाकार को अधिक भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता । अतः यह मामला उच्च अधिका रियों के ध्यान में सम्बन्धित मदों का निम्नानुसार दर निर्धारण करके संविदाकार से कसूली हेतु लाया जाता है नान रख्युली मदों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है ।

-48- 2K

102-

37/10
47/41

71121

71

71

71111

22/45

P/F Ornamental work
above window Makeab.

5600-00

18 3744

100 800-00

23/39

P/F Ornamental Work on
Capital base Classical

Ist & IInd Level

6400-00

14 3744

89 600-00

IIIrd & up to Parapet Level

8000-00

12 "

96000-00

IIIrd back Side

4000-00

7 "

28000-00

IVth ———

4000-00

7 =

28000-00

37/10

Brick bat Screed 40MM

Nominal Size Under Floor

up to 75MM Thick at all height.
M2

43-00

781.27

31444-00

47/41

P/F Ornamental Crown

work on Top of RCC G/S.
between C₃ & C₄ Cont'ner
RCC.

15000-00

2 3744

30,000-00

48/46

P/F Ornamental Gopuram
500X 50 Ht. up to 1.4st.
with RCC

4000-

13 "

52,000-00

50/44

P/F Ornamental domes
with work in RCC up
to 3500 MM Long

113799
(Part Rate)

115300-00

50/49

P/F Marble Stone flooring
slabs as per design over
20 MM Thick Base Jointed
with white cement, Rubbing
and polished complete.

295.63
-M²

2805-00 82868/-10

54/48

P.F. granite strips in flooring
20 MM Thick 25 MM to 75 MM
wide strips complete

765.80 M²
(85%)

127.50 97639.50

(Part Rate)

49/55

P/L 20 MM Thick Marble
pieces in small size
from 50 MM to 150 MM square
pieces in floor in cement
mortar 1:3.

306 964

30-00 9180-00
(P.R.)

1506844-60

वैश्वाम अवधि के दौरान वा0स0 315 दिनांक 18.8.1999 द्वारा रु0 14,70,300.00 रुपये का भुतान अधिग्राही अभिमन्त्रित विद्युत ऊर्जा जिन्ना ज्वा को मन्दिर के विस्तार भवन में एक लिफ्ट लगाने हेतु डिपोजिट वर्क्स के लिए किया गया परन्तु लिफ्ट लगाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी और न ही प्राक्कन रेग्यार किए गए थे जिसे कारण इस व्यय की जांच नहीं की जा सकी मन्दिर अधिकारी से अनुरोध है कि अवैधित तकनीकी स्वीकृति एवम प्राक्कन प्राप्त करके आगामी वैश्वाम में प्रस्तुत किए जाय अनुपालना आगामी वैश्वाम में प्रस्तुत की जाये ।

निर्माण कार्य का नाम : माता चिस्तमूर्ति मन्दिर भवन का विस्तार ।

सविदा कर का नाम : रु0 राज कन्स्ट्रक्शन को प्रेषकृता ।

अनुबन्ध संख्या : ट-टी.सी. 10/98 दिनांक 7.1.1998

वा0स0 1243 मास 1/99 राशि रु0 44,701.60 रुपये :-

१ वर्ष इस वाउचर द्वारा उपरोक्त कार्य के पाकड़े चलत जिन के ऊपर कर किए गए कार्य का भुतान रु0 राज कन्स्ट्रक्शन को प्रेषकृता को किया गया इस वाउचर की जांच में पाया कि माप पुरस्तिता के पृष्ठ 30 के अनुसार निष्पादित कार्य 2408447.70 का किया गया परन्तु जोड़ की गलती के कारण इस 2453149.30 रुपये लिखा गया था। अतः 44701.60 रुपये को अधिक अदायगी सविदा कर को की गई। अतः इस राशि की कसूनी यदि सविदा कर से न की गई हो तो इसे जब करके अनुपालना से वैश्वाम को अवगत करवाया जाये ।

१ वर्ष पाकड़े जिन की मद संख्या 1/1 हिमाचल प्रदेश मानक दर सूची 1987 की मद संख्या 7.4 बी.सी.1 में वर्णित कार्य की मात्रा 1301.17 घन मीटर का भुतान 110.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से मापन पुरस्तिता संख्या 25 पृष्ठ 26 द्वारा किया गया उक्त कार्य मात्रा की गणना करने हेतु कार्य किए गए प्राप्त सेक्शन के अनुसार यह कार्य कीटिंग इन अर्थ वर्क से सम्बन्धित था तथा कीटिंग से सम्बन्धित कार्य अतिरिक्त मद होने के कारण इस कार्य मात्रा का भुतान जला से दर निर्धारित

1988

करके दिया जाना अपेक्षित था। इस कटिंग के कार्य से सम्बन्धित इस अतिरिक्त मद की दर निम्न विवरणानुसार केवल 71.7 रु ही बनती थी जबकि सविदाकार को कटिंग कार्य की मात्रा का मु50654.30 रु अधिक लिया गया जो कि 1301.17 रु मी0 पर 71.07 रु प्रति घन मी0 की दर से बनता है। इसकी वसूली सीधे करके अनुपालना से इस किन्ग को अवगत करवाया जाये। कटिंग से सम्बन्धित कार्य हेतु दर का निर्धारण :-

हि090 मानक दर अनुसूची दर सविदाकार द्वारा अनुबंध में दी गई दर

1987 के अनुसार समुज्यमद की दर

7.41 बी.सी. 14.05 + 130.20 = 22.13 110.00 रुपये

मद संहिया:

7.11 बी.सी. 8.05 + 120.52 = 14.30

कटिंग कार्य हेतु निर्धारित दर = 110.73 + 14.30 = 71.07

38.93 + 1301.17 = 50654.00 रुपये

47.

मु0 45864.00 रुपये का अनियमित भुगतान :-

बाउवर संहिया: 345 दिनांक 23.8.99 राशि 46800.00 रुपये :-

माता चिन्तमूर्ति मन्दिर न्यास द्वारा कुडोजर से भरवाई के पाकि सहा को समतल करने का कार्य पत्र संहिया: टी.टी.सी./बी.बी./99, दिनांक 20.7.99 श्री गुरुमुख सिंह अर्थ वर्क क्लबा रोड ही रिपार पुर को कोटेरा के आधार पर काटित किया। कुडोजर द्वारा प्रति छपटे की दर से निरिचत की गई थी व निम्न ब्यौर के अनुसार कार्य किया गया जिल में दर्शाया गया।

111 अवधि 5.8.99 से 12.8.99 = 8 दिन

प्रातः 8 बजे से 11 बजे दोपहर 25 छपटे 8x8=64 छपटे दर साथ 2 बजे से 5 बजे साय 3 छपटे 500.00 = 32,000.00

121 सड़क का पाकि के आरम्भिक बिन्दु पर कार्य

12.8.99 से 15.8.99 = 24 छपटे 200.00 1200.00

कुछोंजर को दक में लाने का किया
कोटेशन के अनुसार

2800.00

कुल : 46,800.00

जायवर को कटौती : 936.00

45,864.00

उपरोक्त वाउचर की जाँच में पाया गया कि दिनांक 12.8.99 को पाकि एवं सड़क के कार्य में दो बार सम्मिलित किया गया है जिससे उक्त बिज की सत्यता पर सन्देह है बिल को यथावत एम.बी. 19 पृष्ठ संख्या: 95 पर दर्ज किया गया परन्तु कुछोंजर द्वारा निष्पादित कार्य की वास्तविक माफन को भी एम.बी. में दर्ज नहीं किया गया था। अतः किता कार्य हुआ तथा सक्षम अधिकारी की स्वाकृति एवम वास्तविक निष्पादित व प्रगति का प्रमाण पत्र इत्यादि विवरण एम.बी. में न करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसकी अनुपस्थिति में उक्त भुगतान अनियमित प्रतीत होता है। अतः मागना उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है। अतः इस कार्य का पूर्ण औचित्य प्रमाण सहित अक्षेप को बताया जाये अन्यथा इस वीर जिम्मेदारों निर्धारित करतु हुए इसकी भरणई सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी से की जाये।

उक्त कुछोंजर को होरिमारपुर से कार्य स्थल तक दक द्वारा लाने का किया 2800.00 रुपये का भी भुगतान किया गया जो कि अनुचित प्रतीत होता है क्योंकि कुछोंजर को प्रतिष्ठा कार्य करने के आधार पर हायर किया गया था व इस प्रकार कुछोंजर को कार्यस्थल तक लाने का दायित्व उसके मातृक/विदाकार का था। अतः रु 2800.00 रुपये अलग से दिए जाने का औचित्य अक्षेप को दिया जाये अन्यथा इस राशि की काली दोषी से की जाये अनुपालना आगामी अक्षेप में प्रस्तुत की जाये।

निम्नलिखित विवरणनुसार निर्माण सामग्री कीदर न्यात द्वारा प्रय की गई परन्तु इसे न तो एम.ए.एस. रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है इसके उपर्याग द्वारा अन्य कोई अतिरिक्त अक्षेप में प्रस्तुत किया गया। अतः अक्षेप को निलंबित होना चाहिए प्रस्तुत किया

-53- -291-

जोध	माप	राशि	सामान का विवरण
वा0स0			
1203	1/99	1946.00	14 सीमेंट बैग ।
1275	2/99	27800.00	200 सीमेंट बैग थैका नं० 866508
1278	2/99	25020.00	180 " " " 866532
1390	3/99	4170.00	30 -----
339	10/99	378.00	22 किंलो गाम सफेद सीमेंट
365	10/99	8604.00	60 बैग सीमेंट
1204	1/99	11390.00	200 फुट 1 1/2" x 1 1/2" x 5 1/2" x 5 1/2"
	योग-	79308.00	

कप

कुं माप पुरिस्ता 23 के पूछ 48 पर दर्ज प्रविष्टि मद फार्म वर्क जाडीनरी टिम्बर की मात्रा 26,90 व0 मी0 थी परन्तु माप पुरिस्ता 23 के हारा पूछ 54 के अनुसार 29.90 व0 मी0 का करे किया गया था । 3 व0 मी0 का अतिरिक्त भुतान किया गया । अतः 3 व0 मी0 x 73.00 रु=219.00 रु की क्लूनी सविदा कर ले की जाए ।

कुं माप पुरिस्ता 23 के पूछ 53 की रिकार्ड प्रविष्टि "डेमोलीशन आफ स्टोन मस्जरी अप टू सैकिड फौर" की कुल मात्रा 142.87 घन मी0 थी परन्तु भुतान 154.37 घन मी0 का किया गया । इस प्रकार 11.5 घन मी0 x 300 रु=3450.00 रु का अधिक भुतान किया गया जिसे की क्लूनी शैलै औपदिता है ।

कुं माप पुरिस्ता 25 के पूछ 8 मद प्रोवाइडिंग एंड फिफिंग फार्म वर्क आफ आडीनरी टिम्बर की कुल मात्रा 28.83 व0 मी0 थी परन्तु माप पुरिस्ता 25 के पूछ 28 पर इस मद का 29.83 व0 मी0 का भुतान किया गया । इस प्रकार 1 व0 मी0 x 73.00 रु=73.00 रु का अधिक भुतान किया गया ।

कुं माप पुरिस्ता पुरिस्ता 15 पूछ 66 में रिकार्ड की गई प्रविष्टि प्रोवाइडिंग कुल वर्क इन फ्रेम आफ इन डोर विंडो की मात्रा 743 घन मी0 के स्थान पर 759 मी0 का भुतान माप पुरिस्ता 15 के पूछ 79 पर किया गया था और 0.016 व0 मी0 x 55000.00=880.00 रु का अधिक भुतान देके

का अधिक भुक्तान ठेकेदार को किया गया जिसकी बसूली अपेक्षित है।

1967 माघ पुरस्तक 15 के पृष्ठ 66-67 दर्ज रिकार्ड प्रविष्टि प्रोवाइजिंग गेनरल रिव्यू इन फ्लोरिंग 20 एस एस चिक 25 एस.एस. से 75 एस.एस. चौड़ी सड़क की मात्रा 196.82 घन की0 के स्थान पर 197.03 घन मी0 दर्ज की गई थी। इस प्रकार 0.021 घन मी0 x 2805 = 58.90 रु का भुक्तान माघ पुरस्तक 15 के पृष्ठ 79 के अनुसार किया गया। अतः रु 58.90 रु की बसूली अपेक्षित है।

विज्ञापन कर की बसूली न करना :-

रिड 50 सरकार की अधिमूचना संख्या ई.एस एन एस 1111-1/92 दिनांक 31.7.93 के अन्तर्गत ठेकेदार से कुल किए गए व्यय का 2 प्रतिशत विज्ञापन कर की कटौती करनी अपेक्षित थी परन्तु मंदीरे न्याय द्वारा निम्नलिखित न्याये के अनुसार विज्ञापन कर की कटौती नहीं की गई। अतः अपेक्षित बसूली अब की जाए व अनुमानना से उल्लेख को अवगत किया जाए।

वा0सं0	मास	कुल निस्थापित कार्य	विज्ञापन कर 2 प्रतिशत
1383	3/99	12770.00	255.00
1384	"	33508.00	670.00
1385	"	20628.00	413.00
1386	"	26757.00	535.00
1387	"	26116.00	522.00
1388	"	27097.00	542.00
415	11/99	6770.00	135.00
416	"	25525.00	510.00
436	"	10410.00	208.00

योग:-			3780.00 रु

वाउजर सं० मास राशि

116 1323 3/99 4000.00

124 402 10/99 3350.00

वाउजर सं० माता चिन्तमूर्ती मन्दिर न्यास अवधि

1/99 से 12/99 के लेखाओं की जांच में पाया गया कि पालमपुर से शिमला व वापसी के लिए टेक्नी वायर करने हेतु 4000.00 रु का भुगतान वाउजर संख्या 124 द्वारा पुनः पालमपुर से शिमला एवं वापसी टेक्नी वायर कर राशि व्यय की गई। मन्दिर न्यास के पास इस अवधि में एक जिम्मी व एक जोप उपलब्ध थी और शिमला यात्रा के लिए मन्दिर की गाड़ियों का उपयोग किया जा सकता था। जो कि मन्दिर न्यास द्वारा नहीं किया गया। टेक्नी वायर करने का व्यय मन्दिर निधि पर उचित प्रकार नहीं है। अतः इस बारे में चिन्त स्पष्ट किया जाए अन्यथा व्यय की गई राशि की भरपाई दोषी से शीघ्र की जाए।

न्यास मन्दिर चिन्तमूर्ती के अक्षिण के दौरान यह देखा गया कि प्रत्येक मास के अन्त में अत्याधिक मात्रा में राशियाँ हस्तांतरित होती जा रही थी। इस अनियमित प्रक्रिया पर रोक हेतु उचित कदम उठाए जाएं तथा भविष्य में दिन प्रतिदिन वाय के रूप में प्राप्त राशियों को शीघ्र बैंक में जमा करवाया जाना सुचिहित किया जा हस्तांतरित रखी गई राशियों के कुछ उदाहरण निम्न दिए जाते हैं :-

दिनांक	लगी खाता	मुख्य खाता
31.1.99	36692.00	1177.00
28.2.99	14873.00	63533.00
31.3.99	26699.00	19627.00
30.4.99	16640.00	374375.00
31.5.99	31077.00	21127.00

...३६... २२५

30.6.99	4264.00	175828.00
31.7.99	3494.00	35539.00
31.8.99	11371.00	43688.00
30.9.99	16338.00	118265.00
31.10.99	3479.00	10820.00
30.11.99	6221.00	301602.00
31.12.99	14715.00	476431.00

३३.

मन्दिर न्यास चिन्तनों के राष्ट्रीयकृत बैंकों/सहकारी बैंकों के विभिन्न बचत खातों में दिनांक 31.12.99 को रु 0 5318096.00 रु जमा थे जिन्हें सावधिक जमा में निवेश करके अधिक ब्याज मिलित किया जा सकता था। क्योंकि मन्दिर न्यास को दान में जोसलन प्रतिदन एक लाख रु की आय प्राप्त होती है जबकि मन्दिर न्यास का दिन प्रतिदिन का छत्र आमदन से काफी कम है। अतः मन्दिर अधिकारी को परामर्श दिया जाता है कि जबतक जाते में इतनी राशि जमा के रूप में न रख कर निवेश सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक ब्याज अर्जित हो सके।

३६.

मन्दिर न्यास के अक्षिण के दौरान यह पाया गया कि निम्नलिखित अधिभूत/रजिस्टरो का रख रखाव नहीं किया जा रहा है। जिसके आव में दोहरे भुतान की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस बारे में पूर्णविधि अवधि 12.6.87 से 12/93 में भी आपत्ति उठाई गई थी। अतः मन्दिर अधिकांशियों को सलाह दिया जाता है कि वे इन रजिस्टरो को प्राथमिकता के आधार पर स्थान करवाएँ व अनुपालना से अगले अक्षिण पर अद्यतन करवाएँ।

1. वर्क रजिस्टर
2. धरोहर/प्रतिभूत रजिस्टर
3. ठेकेदार लेजर
4. बल/जल सम्पत्ति रजिस्टर
5. बिजली व पानी बिल सम्बन्धी रजिस्टर।

...३७...

-57- 2852

6. टेलीफोन रजिस्टर ।
7. समाचार पत्र का हाजरी रजिस्टर ।
8. अग्रेज रजिस्टर ।
9. यात्रा भत्ता बैंक रजिस्टर ।
10. जा कस्मिक अवकाश रजिस्टर ।
11. भू. जमिनीय रजिस्टर ।
12. स्थापना बैंक रजिस्टर ।
13. विज्ञापन रजिस्टर ।
14. लिटीगेशन रजिस्टर ।
15. मसदौल जारी करने का रजिस्टर ।
16. गाहियों की मुरम्मत रजिस्टर ।

55. (क)

वाहन संख्या एच.पी.-8485 में वास्तव में 524 दिनांक 17.12.1999 द्वारा वाहन की रियेयर पर रिमोन्ट मोटर के बिल नंबर 9282 से 9285 दिनांक 11.12.99 ~~XXXX~~ द्वारा मु 6407.00 रुपये की राशि व्यय की गई परन्तु अभिलेख के अनुसार यह वाहन मन्त्रि-दर न्याय का नहीं आ। अतः व्यय की गई राशि की वसूली तब के मन्त्रिदर न्याय के लेख में जमा करवाई जाये अनुपालना आगामी वीक्षण में प्रस्तुत की जाये ।

क्र.	वास्तव	मास	राशि
	210	7/99	612.00
	260	8/99	390.00
	389	9/99	1011.00
	517	11/99	612.00

उपरोक्त वास्तवों द्वारा 60 लीटर डीजल पर 612.00 रुपये 6 लीटर में 1 MAK का बिल, 390.00 रुपये व 50 लीटर डीजल व 3 लीटर में बिल पर मु 1011.00 रुपये जनरेटर सेट में इस्तेमाल हेतु व्यय किए गए परन्तु जनरेटर सेट की लाग बिल वार अनुरोध करने पर भी वीक्षण में प्रस्तुत नहीं

की गई। अतः अपेक्षित लाग बूट को आगामी अधिका में प्रस्तुत किया जाये व अनुपालना आगामी अधिका में दिखाई जाये ।

गण वाहन संख्या: एच.पी.19-1919 :-

अवधि 4.3.98 से 18.3.98 तक गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता रहा परन्तु इस अवधि में लागबूट को भरा नहीं गया। अतः लाग बूट को पूर्ण न करने का औचित्य कारण सहित अधिका को दिया जाये। उक्त मामला उच्चाधिका रियों के ध्यान में लाया जाता है ।

56.

गण मास के अन्त में वाहन सं: एच.पी. 19-9077 को औसत न निवासना :-

मन्दिर न्यास चिन्तनों जिजा जना ली गाड़ी की लाग बूट की प्रविष्टियों की जांच में पाया गया कि मास के अन्त में वाहन को जो औसत निवासी जाती है वह आरम्भ से ही निवासी नहीं जा रही है। अतः उक्त वाहन को औसत को स्थान अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाये तथा अनुपालना आगामी अधिका में दिखाई जाये भविष्य में वाहन को मासिक औसत का सत्यापन स्थान अधिकारी द्वारा सदैव करवाना सुनिश्चित किया जा

गण वाहन संख्या: एच.पी. 19-0666 :-

उपरोक्त वाहन का मन्दिर न्यास द्वारा 19.11.9 को किया गया परन्तु इस गाड़ी की लाग बूट अधिका में प्रस्तुत नहीं की गई थी। उक्त लाग बूट आगामी अधिका में प्रस्तुत की जाये ।

गण वा0सं 1371, दिनांक 23.3.99 राशि 4136.00 रुपये :-

उपरोक्त वाहन द्वारा गाड़ी सं: एच.पी. 19-0072 के गेज टेक् 3200.00 रुपये व टैक टेक् 900.00 रुपये कुल 4100.00 रुपये के स्थान पर गेज 4136.00 रुपये की राशि खय की गई दिखाई गई। इस प्रकार 36.00 रुपये की राशि की अधिक अदायगी की गई। अतः राशि की वसूली दोषी से की जाये

व लेख में जमा कर वसूली को अद्यतन करवाया जाये।

भाग - दो लक्षार खाता

57.

विस्तीय रिजर्व लक्षार खाता :-

1. माला चिन्तपूर्ण मन्दिर न्यास चिन्तपूर्ण के लक्षार खाते का लेखा एका अलग रोक वही में रखा जा रहा है। अवधि 1/99 से 12/99 तक की आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक रेषा	आय	योग	व्यय	अन्तिम रेषा
1999	8922189.96	2935729.99	11857919.99	1027758	10830161.95
लक्षार खाते की रोकवही के अनुसार दिनांक 31.12.99 को अन्तिम रेषा का विवरण निम्न प्रकार से था :-					
1.	हस्तात रोक रेषा			14715.00	
2.	अक/हाकर में जमा			343173.95	
3.	सावधिक जमा योजनाओं में निवेश			10974373.00	

योग : 11332263.95

उक्त प्रस्तुत विवरणानुसार वसूली द्वारा दिनांक 31.12.99 को निम्नले गए वारसविक अन्तिम रेषा में 502102.00 रुपये का अन्तर था जिसका विवरण नीचे दिया गया है। विभिन्न सावधिक योजनाओं में निवेशित राशियों पर अर्जित व्याज की रोकवही के रोक/वै. बलगा में आय के रूप में रजिस्ट्रारिया गया था अपितु पुनः सावधिक जमा योजनाओं में निवेशित किया गया था।

...60... 995

कम से अधिक जमा योजना स्वयं ग्राहक ब्याज क. 1.18
का खाता संख्या: जो पुनः निर्देशित थी

1.	3717226	11.4.97 से 11.4.99	19000.00
	3717224	27.3.97 से 27.3.97	
2.	3717256	13.2.98 से 13.2.99	1,90,650.00
	3717258	24.2.98 से 24.2.99	
3.	3717259	2.3.98 से 2.3.99	43,000.00
	3717261	24.3.98 से 24.3.99	
4.	172993	30.4.98 से 30.4.99	18,232.00
5.	274124	18.6.98 से 1.5.99	1,63,364.00
6.	271128	9.11.98 से 29.7.99	38,162.00
7.	431127	9.11.98 से 29.3.99	29,694.00
योग : 5,02,102.00 रु			

I. बैंक समाधान विवरण { वांछित केन्द्रीय सहकारी बैंक } विन्तुलगा
दिनांक 31.12.99 को रोक वही अनुसार 175.97

जमा { रु } बैंक द्वारा दिया गया ब्याज जिसे रोक वही में जमा नहीं किया गया।

2/99	458.00
8/99	351.00
	13.00
+ 822.00	
= 997.97	

II. बैंक जारी किए गए परन्तु रोक वही में जमा नहीं हुए :
बैंक संख्या 782146 दिनांक 14.1.99... 1200.00 रुपये
III. बैंक द्वारा निम्नलिखित दिनांकों पर कम जमा के स्थान पर अधिक जमा किया गया।
IV. दिनांक 30.7.97 { 2369.07-2269 } = 100.07
V. दिनांक 7.4.98 { 3650-3560 } = 90.00 रु
बैंक अधिविवरण में : 1396.07-392.10

पृ०...६१...

॥ माँ केक समाधान विवरण स्टेट बैंक आफ इण्डिया चिन्तपूर्णा :-

दिनांक 31.12.99

रोक वही अनुसार रेष

3,42,998.00

बटाव :-

रोक वही के केक लागू निम्नलिखित दिनांकों पर अधिक दर्शाया गया :

दिनांक	पृष्ठ नं०	राशि
13.12.99	52	10.00
28.12.99	57	30.00
		40.00

प्राप्तबुद्ध अनुसार रेष = 3,42,998.00

58.

पूजा निवेद :-

पूजा दिनांक 31.12.99 तक लंगर खाते की रोकवही के बंदी के दौरान पाया गया कि 1,09,74,375.00 रुपये की राशि निवेद की गई थी। इस सावधि जमा राशि के परिपक्व के उपरान्त ब्याज सहित ही सावधि जमा धौ जमाकों में पुर्ननिवेशित कर दिया गया और दिनांक 31.12.99 का सावधिक जमा में निवेशित राशि रु 1,09,74,375.00 रुपये था। जिसका विवेचन भेजों की रसीदों के अनुसार पूर्ण विवरण अनुबन्ध-5 में दिया गया है। इस प्रकार अवधि 1997 से 31.12.99 तक सावधिक जमा राशि पर 8527024.00 रुपये की राशि पर 502102.00 रुपये की राशि ब्याज के रूप में समय समय पर अर्जित की गई थी परन्तु ब्याज को इस राशि को रोकवही के रूप में अर्जित नहीं किया गया था जिसके कारण मन्दिर न्यास की रोक वही के वारताविक विविध स्थिति को परिलक्षित नहीं करती है। ब्याज की अर्जित राशि की रोक वही में जमा न करके लंगर खाते की आय का रोकवही में कम दर्शाया गया है जो कि वापसिस्तजक है। अतः ब्याज

...६२...

1034

69

[illegible]

7-10-68

3

- 63- 231

शहर जाते के अवधि 1/99 से 12/99 तक के वर्धित मालों का लेखा परीक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार राशन जिसका र ब्योरा निम्न अनुबन्ध में दिया गया है, जोर स्टोक में नहीं लिया गया है। इस राशन की प्रविष्टियों को स्टोक में न लाने का औचित्य निम्न को दिया जाए अन्यथा निम्न वर्णित राशन का वर्तमान बाजारी मूल्य निर्धारित करके राशि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/ब्योरा से करके शहर लेवे में जमा किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत किया जाए।

<u>तालिका सं०</u>		<u>राशन का विवरण</u>	
287	7/99	दुग्गी	50 कि.ग्रा.
299	8/99	मुंगी धुली	2 कि.ग्रा.
		वसुला	2 पैसे
		मुंगी ताल	2 कि.ग्र.
305	9/99	मुंगी 1 1/2	कि.ग्रा.
		मिठ्ठा मटर	5 कि.ग्रा.
324	9/99	मुंगी अधिक.ग्रा.	
348	10/99	गरी गोला	3 कि.ग्रा.
		काजू	3 "
		बादाम गिरी	3 "
		दाउ	3 "
		खजूर	500 ग्राम

(क) शहर जाते के स्टोक व इशु रजिस्टरों अवधि 1/99 से 12/99 तक के वर्धित मालों का लेखा परीक्षण करते समय यह पाया गया कि शहर को जो RR राशन सामग्री जारी की जाती है उसे दैनिक वितरण रजिस्टर/इशु रजिस्टर में कम व स्टोक रजिस्टर में अधिक दर्ज किया गया। जिससे स्टोक अधिक को कम दर्ज किया गया। इसका ब्योरा निम्न प्रकार से दिया गया है। मन्दिर न्यात के प्राधिकारियों से अनुरोध है कि उपरोक्त राशन का वर्तमान बाजार मूल्य निर्धारित करके राशि को दोषी से वसूल कर शहर लेवे में जमा कराया जाए तथा अनुपालना से शीघ्र इस विभाग को अवगत किया जाए।

रामन
दिनांक

१० फी वितरण
राजिस्ट्रार के अंतर्गत
सर्व रवाना जाती
किंवा गमा।

सुप्रीम रजिस्ट्रार
के जो रवाना
दवा किंवा गमा।

सुप्रीम रजिस्ट्रार
के जो रवाना
अधिक दवा
गमा।

हल्दी	१.५.११	२. किंवा	२.२५०	२.५००	१५२०
	११.५.११	२. " "	२.२५०	२.५००	"
	१५.५.११	२. " "	४.०००	२.०००	"
	२१.५.११	१.८००	२.३००	०.५००	"
	२५.५.११	२.०००	४.०००	२.०००	"
मसाला	२.५.११	१.०००	१.२५०	०.२५०	२६
	७.५.११	१.०००	१.२५०	०.२५०	"
	१९.५.११	१.०००	१.५००	०.५००	"
	२५.५.११	१.०००	१.३००	०.३००	"
नमक	८.५.११	५.०००	७.०००	२.०००	१०० (सि)
	२०.५.११	५.०००	७.०००	२.०००	"
	२५.५.११	५.०००	१५.०००	११.०००	१०१
	२९.५.११	५.०००	७.०००	२.०००	"
देसी ची	५.५.११	२.०००	३.०००	१.०००	१२५
डालड़ा	८.५.११	—	१.०००	१.०००	१५० (सि)
ची	२०.५.११	३.०००	५.०००	२.०००	"
	२१.५.११	३.०००	६.०००	३.०००	"
पनी	२०.५.११	१५.०००	१६.०००	२.०००	२ (सि)
घी	२५.५.११	२७.०००	७२.०००	४५.०००	"
	२३.१२.११	७.०००	२०.०००	१३.०००	"

-65- 293

मार्च	6-4-99	10-000	12-000	2-000	26 (वर्ग)
	25-4-99	—	2-000	2-000	62-4-5
मार्च	9-4-99	—	2-000	2-000	59 (वर्ग)
एप्रिल	25-12-99	—	14-000	14-000	"
मार्च	12-7-99	—	1-500	1-500	106 (वर्ग)
एप्रिल	2-9-99	—	2-000	2-000	"
	5-10-99	—	0-500	0-500	"
	15-10-99	—	10-000	10-000	"
	7-12-99	—	1-000	1-000	"
	18-12-99	—	2-000	2-000	"
मार्च	6-4-99	0-100	0-150	0-050	143 (वर्ग)
	8-12-99	—	0-100	0-100	149 (वर्ग)
एप्रिल	5-4-99	0-100	0-200	0-100	155 (वर्ग)
	9-4-99	—	0-100	0-100	4
	15-4-99	—	0-200	0-200	4
	25-4-99	0-100	0-300	0-200	4
	6-12-99	—	0-100	0-100	163 (वर्ग)
	7-12-99	—	0-100	0-100	7
	9-12-99	—	0-100	0-100	4
मार्च	25-4-99	4 0-150	0-350	0-200	168 (वर्ग)
	27-4-99	0-150	0-550	0-400	4
	2-12-99	0-200	0-400	0-200	4
एप्रिल	2-12-99	0-015	0-045	0-030	189 (वर्ग)

... ६६-२३५१

बिना सावधिक जमा निवेश पर अर्जित ब्याज को पुर्ननिवेश या आय में न दर्शाना :-

लंगर खातों अवधि १/७७ से १२/७७ तक की रोकड़ वही के अंकेषण के दौरान पाया गया कि सावधिक जमा योग खाता नं० २७६१० किंकि ३.११.७४ जिसे अंकेषण प्रतिवे का ६२८७ से ३१.१२.७५ के पैरा १०।१।७५ में दर्शाया गया था की निवेशित राशि १,००,०००/- रु० को सावधिक खाता नं० ३७१७१३ किंकि ५.२.७६ से ५.२.७७ तक पुर्ननिवेशित किया गया परन्तु अर्जित बि गस ब्याज को न पुर्ननिवेश किया गया और न ही रोकड़ वही में दर्शाया गया। इस प्रकार इस राशि को जमा ही नहीं करवाया ग जिसकी वसूली दोषी से की जास व अनुपासनासे अंकेषण को शीघ्र अवगत करवाया जास।

६२.

लंगर लेख अवधि १/७७ से १२/७७ के अंकेषण में पाया गया कि नि सामान को लंगर खाते मेंसे छरीदा गया था परन्तु व्य कि गस की न तो स्टॉक में गणना की गई थी और न ही इसके उपयोग के सम्बन्ध में कोई अभिख अंकेषण में प्रस्तुत किया गया। जिसके अभाव में सामान को व्य करने हेतु भुगतान अनियमित प्रतीत होता है। अनियमित भुगतानों की राशि को दोषी से वसूली करके मन्दिर में जमा करवाई जास और अनुपालना से अगले अंकेषण पर अवगत करवाया जास।

वाउचर सं०	मास	राशि	विवरण
१७४	२/७७	८००.००	। तिटीजन केमलेटर सी-टी-६००-सन
२०४	४/७७	२१३.००	स्टेमरी का सामान मे० बालक राम एण्ड सन्स लि ०००१०७.

...

... 67- 2351

212	5/99	90.00	1 खारा
		50.00	2 डल्ला
		30.00	2 खर्बड़ियां
		32.00	6 छड़ोलियां
		<u>242.00</u>	
247	6/99	95.00	8 छड़ोलियां
		25.00	1 हल
		44.00	2 छज
		<u>165.00</u>	
351	10/99	50.00	2 हल्ला
		100.00	1 खारा
		120.00	8 छड़ोलियां
		30.00	1 कड़
		30.00	2 खबड़ी
		<u>330.00</u>	
41	11/99	140.00	1 धौनी
		80.00	1 खौचा
		<u>120.00</u>	6 चाबू/कंदे
		<u>340.00</u>	

63.

लैंगर लेख के चयनित मासों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित व्योरे के अनुसार राशन वितरण रजिस्टर में राशन कांट-छांट कर या जमा करके त्वांया गया और तब इसे मुख्य स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया गया। मन्दिर अधिकारी द्वारा वितरण रजिस्टर में की कांटिंग को कभी भी प्रमाणित नहीं किया जाता है। राशन की मद को स्टॉक रजिस्टर/वितरण रजिस्टर में कांट-2 कर लिखने से सीधे उत्पन्न होता है और इस राशन के दुरुपयोग/दुर्विनियोजन से इन्क नहीं किया जा बसतर है। प्रविष्टियों को कांट-2 कर लिखा जान अनियमित है। अतः मन्दिर प्राधिकारियों से अनुरोध है कि इस

...

तरह की कांट-कांट कर प्रविष्टियां करने से परिहार किया जाए।
वाज्जर सं० 360 मास 12/99 राशि 97980.00 रु० :-

664

[क] उक्त वाज्जर द्वारा किशन दास, मदन
पाल सुद पहाड़ी कटड़ा सु० 97690.00 रु० का भुगतान बैंक संख्या
867428 द्वारा निम्नलिखित राशन की खरीद हेतु किया गया। ज्य
को बाजार से की गई थी परन्तु ज्य से पूर्व विस्तीय औपचारिकताएं
जैसे निविदाएं इत्यादि आमन्त्रित नहीं की गई थी। जोकि नियमों
प्रतिबन्ध है। अतः औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना खरीद का
औचित्य अक्षेपण को बतलाया जाए और यह भी प्रमाणित करवाया
जाए कि ज्य की गई सामग्री बाजार की प्रचलित दरों से कम दर पर
की गई थी। आयुक्त मन्दिर चिंत्तपूर्ण से अनुरोध है कि भविष्य में
राशन की खरीद सहकारी समितियों, उपभोक्ता संगठनों से ही की
जाए।

वाज्जर सं०	मास	विवरण	राशि	कर्म का नाम
				जिससे राशन खरीदा।

360	11/99	चीनी 3 बोरी	4950.00	में० किशन दास
		1650/- प्रति		मदनपाल सुद पहाड़ी
		चावल 60 धेले 2100 कि.ग्रा		करा होशियारपुर
		1325/-	27825/-	बिल नं० 745-746
				दिनांक 16.10.99

-- स्पेशल 1125/- प्रति 23625.00 --
दास का 3 बोरी 5325.00 --
3 किंवदंज, 1775.00 प्रति/
राजमाह 100 कि.ग्रा. 3200.00 --
3200/- प्रति

सफेद का 100 कि.ग्रा. 3500.00
3500/- प्रतिदर
गुंगी साबुत 100 कि.ग्रा. 2550.00
2550/-

..... 69-297-

बेसन	120 कि.ग्रा.	1850/=	2220.00
काले चने	100 कि.ग्रा.	1900	1900.00
साबुत माह	300 -"-	2800	8400.00
गिरी मोटी	3 -"-	2600/=	780.00

बादाम

काजू	-"-	275/-	825.00
दाख	-"-	140/=	420.00
गरी गोला	-"-	55/=	165.00
इमली	50 कि.ग्रा.	22/=	1100.00
मसाला पीसा	30 -"-	200/=	6000.00
धानियां	20 -"-	60/=	1200.00
मिर्च	15 -"-	75/=	1125.00
साबुत धनियां	10 -"-	55/=	550.00
मेथी	10 -"-	28/=	280.00
अमलाई	5 -"-	95/=	475.00
छोटी इलायची	0.500 ग्रा.	750/=	375.00
			<u>96790.00</u>

[ख] उपरोक्त वाजवर द्वारा राशन की सामग्री 96790.00 रु. की गई जबकि भुगतान 97690.00 रु. किया गया था। अतः दुकानदार को 1170.00 रु. का अधिक भुगतान किया गया। 1170.00 रु. की वसूली दोषी से की जाए व मन्दिन लेख में जमा की जाए।

68.

अन्य अनियमिततारें :-

[क] अधिनियम की धारा 61(1) के अन्तर्गत तैयार किए जाने एवं अनुरक्षित किए जाने वाले रजिस्टर तैयार नहीं किए जाते थे।

अधिनियम 1984 के नियम 22(1) के अन्तर्गत मन्दिन राशन बजट को तैयार नहीं किया जाता है और व्यवसाय का भुगतान बिना

76... 238
किसी बजट प्रावर्धन के ही किया जाता है।

अधिनियम की धारा 34(2)(4) सहर्षित्त नियम 14 की अनुपालना में आय और व्यय की त्रैमासिक विवरणियाँ तैयार नहीं की जाती हैं।

अधिनियम की धारा 23(1) की अनुपालना में लेखाओं को उचित प्रकार से नहीं रखा गया है।

ख) गोलकों सम्बन्धित अनियमितताएँ :-

गोलकों से एक रुपये से कम तिक्तों की गिनत नहीं की जा रही थी। और इस प्रकार आय में कमी हो रही थी। भविष्य में इस प्रकार के तिक्तों की गणना की जाए व रोकड़ वही में दर्ज किया जाए।

फटे पुराने नोटों की प्राप्त की रसीद काटी जाए तथा इनके विनियम पर खर्चों को खर्चों में डाला जाए।

विदेशी मुद्रा की गणना का अभिलेख पृथक् रजिस्टर में रखा जाए जिसमें इसकी प्राप्त व विनिमय इत्यादि का पर्याप्त विवरण हो।

ग) मन्दिर न्यास की विभिन्न सम्पत्तियों पर कमिश्नल होईंग पर प्राप्त आय का कोई भी ब्योरा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसे आगामी अंकेक्षण पर बतलाया जाए।

घ) हि0प्र0 भाषा एवं संस्कृत विभाग द्वारा मन्दिर के आन्तरिक अंकेक्षण के दौरान उठाई गई आपत्तियों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। अतः लेखाओं में सुधार लाने हेतु यथोचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

ड. १ नियमानुसार चल एवं अचल सम्पत्तियों की समय पर प्रत्यक्ष संचालन नहीं किया जा रहा है। अतः इस सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

...

॥ य ॥ लंगर हेतु राशन की खरीद का उपयोग बिना पर्याप्त माप दण्ड के जारी किया जाता है। भविष्य में लंगर हेतु राशन इत्यादि जारी करने हेतु किसी प्रकार के मापदण्ड/॥ ५०६५९ ॥ का होना आवश्यक है। राशन अधिकारियों की देख रेख में जारी किया जा सता कि राशन का दुर्विनियोजन न हो ।

॥ छ ॥ चल-अचल सम्पत्तियों की *Periodical Physical verification* नहीं की गई थी जिसे भविष्य में नियमित रूप से की जानी सुनिश्चित किया जा स।

घयनित मातों के रटाक रजिस्टर का अंकेषण करते समय पाया गया कि जो वस्तु दान के रूप में प्राप्त होती है तब उसकी रसीद जारी करत समय प्राप्त सामान का पूर्ण विवरण का उल्लेख नहीं किया जाता है। जिससे यह सुनिश्चित करना कठिन है कि जो वस्तु दान से प्राप्त हुई है वास्तव में उसे ही स्टोक में लिया गया है। अतः भविष्य में हेतु परामर्श दिया जाता है कि पावती जारी करते समय सामान का पूर्ण विवरण केत कि *Made, quality and quantity* को दर्शना सुनिश्चित किया जा स।

॥ ज ॥ मन्दिर अधिनियम की विभिन्न धाराओं की अनुपालना हेतु आवश्यक कर्मचारियों की सेख्या निर्धारित सर्व सरकार से स्वीकृत नहीं थी। जिस कारण कर्मचारियों की औचित्यता का सत्यापन वर्तमान अंकेषण में नहीं किया जा सका। अतः अपेक्षित कार्यवाही की की जा स।

॥ ब ॥ अंकेषण के दौरान पाया गया कि माता चिन्तपूर्णी मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न बैंक खाते मन्दिर न्यास के नाम पर खोलने के स्थान पर व्यक्तिगत नाम जैसे नाथब तहसीलदार अम्ब इत्यादि के नाम से खोले गए हैं, जो कि अनुचित है। अतः बैंक खाते जो व्यक्तिगत नाम से खोले गए हैं को तुरन्त बन्द कर मन्दिर न्यास के नाम पर परिवर्तित किया जा स।

56.

लघु आपर्ति विवरणिका :-

लघु आपर्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी। क्योंकि समस्त लघु आपर्तियों का निपटारा वर्तमान अंकेक्षण में कर लिया गया था।

57.

निष्कर्ष :-

मन्दिर न्यास द्वारा अभी तक विस्तीय नियमों का निर्णय नहीं किया गया है। इस लिए सरकार में लागू विस्तीय नियमों के अनुसार ही मन्दिर न्यास का लेखा परीक्षण किया गया। मन्दिर में स्टाक व अन्य Expenditure अभिलेख का उचित रख रखाव नहीं है। लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

हरता/=-

संयुक्त निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृष्ठ संख्या: फिन/सल. स. 1/सच/2/सी/15/14/197/96, खड-3, दिनांक,
शिमला-171009,

प्रति लिपि निम्न को सूचार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

मन्दिर अधिकारी याता विन्तपूर्वों मन्दिर तहसील अम्ब, जिला उमा हिमाचल प्रदेश को इस आग्रह के साथ प्रेषित की जाती है कि इस अर्द्धवर्ष प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटीक उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजे।

उपस्थित उमा जिला उमा 1/दि0909।

निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला-171009.

संयुक्त निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

...

दिनांक 31.12.99

रोकड़ वही अनुसार जोष

5199051-16

जारी किए गए चेक / आदत चेक
 जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं
 हुए

चेक संख्या	दिनांक	राशि	26544.00
" 864244	"	"	5500.00
			31544.00

जारी किए गए चेक जो दिनांक 31.12.99
 तक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए

चेक संख्या	दिनांक	राशि
867967	2.12.99	477.00
867972	2.12.99	5000.00
868000	29.12.99	15000.00
868325	12.9.99	3000.00
		23477.00

माह 8/99 में कांगड़ा के 154 सहकारी बैंक
 के वचन रवाना संख्या 22-06 द्वारा दिया
 गया गया जो तबसे दिनांक 31.12.99 तक रोकड़-
 वही में जमा नहीं किया गया।

16719.00

वर्ष 1998 की आय तबसे रोकड़ वही में
 जमा नहीं किया गया (334394.30 -

287037.30)

47357.00

5318148-16

रोकड़ वही प्र. सं. 81 दिनांक 1.2.99 के समय
 जो 16840.00 रु के स्थापित पर 16790.00 रु
 लीमा गया (16840 - 16790.00) = 50.00
 रोकड़ वही प्र. सं. 75 दिनांक 12.1.99 के समय
 जो 96663.00 रु के स्थापित पर 96661.00 रु
 लीमा गया (96663 - 96661.)

2.00 (-) 52.00

= 5318096-16

पासबुक अनुसार जोष

-74- 242- 31 of 1000 - 11

Statement of FDRs as on 31-12-1999 Temple trust Chintpurni

S/NO	NAME OF BANK	FDRs NO	INVESTMENT AMOUNT	INTREST	MATURITY AMOUNT
1	SBI CHINTPURNI	679392	6,46,258-00	67,089-00	7,13,347-00
2	-----do-----	679391	6,46,258-00/	67,089-00	7,13,347-00
3	-----do-----	679390	72,37,582-00	7,51,347-0	79,88,929-0
4	-----do-----	679757	1,72,383-00	17,895-00	1,90,278-00
5	-----do-----	679758	21,59,560-00	2,35,839-0	23,95,399-0
6	-----do-----	679759	34,14,972-00	3,72,939-0	37,87,911-0
7	SBI Amb	507975	7,04,519-00	73,138-00	7,77,657-00
8	-----do-----	631314	7,55,871-00	78,469-00	8,34,340-00
9	KCCB Collag Branch Una	464981	29,88,203-00	1,45,675-0	31,33,878-0
10	PNB Santoshgarh	302439	10,14,795-00	1,13,742-0	11,28,537-0
11	KCCB Chintpurni	431285	15,51,323-00	1,70,645-0	17,21,968-0
12	-----do-----	431438	98,85,605-00	10,87,417-	1,09,73,022-
13	SBP Una	709124	10,00,000-00	82,430-00	10,82,430-0
14	-----do-----	709249	15,05,000-00	1,68,427-0	16,73,427-0
15	-----do-----	537892	5,00,000-00	54,6054-0	5,54,604-00
16	Post office Chintpurni	3717300	66,00,000-00	7,75,625-0	73,75,000-0
	TOTAL=		4,07,82,329-00	42,62,370-	4,50,44,074-

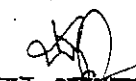
NOT:- Intt Rs=625-00 FDR No 3717300 deposited in P.O Saving A/c No 176613 on dated 17-04-99.


Temple officer
Chintpurni.

दिनांक	स्टाक राजिस्टर पृ० संख्या	वास्तविक सौचा जो लिम। जाका था। कि० ग्रा० ग्रा० मि० ग्रा०	स्टाक पोजिका ने दर्ज । कि० ग्रा० ग्रा० मि० ग्रा०	अन्तर कि० ग्रा० मि० ग्रा०	टिप्पणी
31.1.99	31	42.797.290	42.152.790	0.644.500	प्रारम्भिक शेष में गलती
21.4.99	33	0.541.000	0.441.000	0.100.000	जोड़ में गलती के कारण
14.5.99	39	0.148.400	0.147.500	0.000.900	— " —
31.5.99	33	0.482.100	0.472.100	0.010.000	— " —
31.8.99	35	0.587.300	0.587.400	0.000.100	— " —
10.10.99	37	0.181.600	0.066.715.	0.114.885	— " —
				<u>0.870.385</u>	

मन्दिर न्यास विन्तपुर्णी में 12.6.87 से 31.12.99 तक सोना-चान्दी का व्यौरा निम्न है :-

सोना				चान्दी				
क्रमांक	वर्ष	किलो ग्राम	ग्राम	मि० ग्राम	किवटल	किलो ग्राम	ग्राम	मि० ग्राम
1.	<u>12.6.1987</u> <u>31.12.96</u>	28 ✓	377 ✓	958 ✓	9 ✓	85 ✓	941 ✓	597 ✓
2.	<u>1.1.1997</u> <u>31.12.97</u>	34 ✓	501 ✓	868 ✓	11 ✓	86 ✓	647 ✓	097 ✓
3.	<u>1.1.1998</u> <u>31.12.98</u>	42 ✓	797 ✓	290 ✓	13 ✓	96 ✓	662 ✓	097 ✓
4.	<u>1.1.1998</u> <u>31.12.99</u>	49 ✓	451 ✓	505 ✓	16 ✓	49 ✓	594 ✓	597 ✓

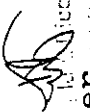
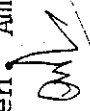

 मन्दिर अधिकारी
 विन्तपुर्णी ।


AT- DMS-

3179400-1

List of FDRs of Temple Trust Chintpurni for the year ended
31st. Dec. 1999. (Kanyas A/c)

S/No.	FDR No.	Dated	Amount Invested
1.	3717292	4.2.99 to 4.2.2000	3,50,000-00
2.	3717295	4.2.99 to 4.2.2000	19,34,000-00
3.	3717296	18.3.99 to 18.3.2000	4,50,000-00
4.	3717297	31.3.99 to 31.3.2000	1,08,500-00
5.	3717299	3.4.99 to 3.4.2000	4,34,000-00
6.	678854	6.5.99 to 6.5.2000	2,50,000-00
7.	769541	13.9.99 to 13.9.2000	4,00,000-00
8.	431126	19.12.99 to 15.2.2001	23,85,862-00
9.	274014	7.11.99 to 15.2.2000	8,76,181-00
10.	431143	19.11.99 to 15.2.2000	11,60,576-00
11.	431332	6.5.99 to 30.4.2000	1,83,982-00
12.	431339	1.5.99 to 1.5.2000	16,48,493-00
13.	431742	29.7.99 to 29.7.2000	3,71,162-00
14.	431411	4.10.99 to 29.8.2000	3,01,619-00
15.	679633	4.10.99 to 4.10.2000	1,20,000-00
Total:-			1,09,74,375-00


Temple Officer (H.O.)
Temple Trust Chintpurni
Teh. Amb Distt. Una H.P.


-78- 246-

List of FDRs of Temple Trust Chintpurni for the year ended
31st. Dec. 1999. (Sample A/c)

ORIGINAL

S/No.	FDR No.	Dated	Amount Invested
1.	3717292	4.2.99 to 4.2.2000	3,50,000-00
2.	3717295	4.2.99 to 4.2.2000	19,34,000-00
3.	3717296	18.3.99 to 18.3.2000	4,50,000-00
4.	3717297	31.3.99 to 31.3.2000	1,08,500-00
5.	3717299	3.4.99 to 3.4.2000	4,34,000-00
6.	678854	6.5.99 to 6.5.2000	2,50,000-00
7.	769541	13.9.99 to 13.9.2000	4,00,000-00
8.	431126	19.12.99 to 15.2.2001	23,85,862-00
9.	274014	7.11.99 to 15.2.2000	8,76,181-00
10.	431143	19.11.99 to 15.2.2000	11,60,576-00
11.	431332	6.5.99 to 30.4.2000	1,83,982-00
12.	431339	1.5.99 to 1.5.2000	16,48,493-00
13.	431742	29.7.99 to 29.7.2000	3,71,162-00
14.	431411	4.10.99 to 29.8.2000	3,01,619-00
15.	679633	4.10.99 to 4.10.2000	1,20,000-00
Total:-			1,09,74,375-00


Temple Officer (T.P.)

Temple Trust Chintpurni
Teh. Amb Distt. Una H.I.

